की सम्परीक्षा करके अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित एक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर निर्गत किया जायेगा।

इस नियम में यह भी व्यवस्था है कि भारत सरकार की ओर से इन स्थानीय निकायों/संस्थाओं के कार्य कलाप पर दृष्टि रखने के लिए निदेशक द्वारा वर्षान्त में संहत रूप से वर्षान्तर्गत स्वीकृत अनुदान के उपभोग की स्थिति से महालेखाकार को सूचित किया जायेगा, जिससे शासन द्वारा प्रदेश के लोक लेखा निधि से स्वीकृत किये गये अनुदानों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो सके कि सम्बन्धित निकायों/संस्थाओं द्वारा इन अनुदानों का उपभोग उन्ही प्रयोजनों के निमित्त किया गया है अथवा नहीं, जिनके लिए वे स्वीकृत किये गये थे तथा उन संगत नियमों का पालन किया गया है अथवा नही, जिनके अन्तर्गत उन्हें उक्त धनराशियों का उपभोग करना था।

2.2 उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 (उत्तर प्रदेश के अधिनियम संख्या–12 सन् 1984) जो कि दिनांक 30 अप्रैल, 1984 से प्रवृत्त हुआ, की धारा–4(2) के अन्तर्गत विधान मण्डल ने इस विभाग को यह शक्ति प्रदान की है कि ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की परीक्षा पूर्णतया ऐसे किसी अधिनियम में जिसके द्वारा या अधीन स्थानीय प्राधिकारी का गठन किया गया है, उसके अधीन बनाये गये किसी नियम में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के दौरान या अधीन उपबन्धित रीति से की जायेगी।

2.3 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 में प्रादेशिक विधान मण्डल द्वारा उपर्युक्त स्पष्ट आदेश पारित करने के उपरान्त अब स्थिति यह है कि प्रदेशान्तर्गत स्थित सभी स्थानीय निकायों एवं अनुदानित संस्थाओं के लेखाओं की सम्परीक्षा अनिवार्यतः निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा की जानी है।

3– सम्परीक्षाधीन लेखे ––

3.1 वर्ष 2002–03 में सम्परीक्षाधीन संस्थाओं के लेखाओं की संख्या 2136 थी। उप सम्परीक्षाधीन 2125 संस्थाओं के विवरण संलग्न ***परिशिष्ट 'क' भाग–1*** में दिये गये हैं। शेष सम्वर्ती सम्परीक्षा एवं शत प्रतिशत लेखा परीक्षा किये जाने वाली 11 संस्थाओं की सूची ***परिशिष्ट 'क' भाग–2*** के रूप में संलग्न है।

3.2 – सम्परीक्षाधीन प्रमुख स्थानीय निकायों तथा संस्थाओं के संगत अधिनियमों आदि जिसके आधार पर सम्परीक्षा की गयी है, की सूची *परिशिष्ट 'ख''* में दी गयी है।

4– सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य ––

4.1 – शासन द्वारा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग को प्रदेश की स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं को स्वीकृत किये गये वित्तीय अनुदानों एवं ऋणों आदि का उपभोग सुनिश्चित करने के लिए इन स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं की सकल आय एवं व्यय की सम्परीक्षा का दायित्व दिया गया है जिससे सम्परीक्षा के माध्यम से शासन एवं विधान मण्डल को यह ज्ञात होता रहे कि इन संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी विशिष्ट अधिनियमों में अपेक्षित जन आकांक्षाओं की पूर्ति इनके द्वारा की जा रही है अथवा नही। अतः इस सन्दर्भ में सम्परीक्षा का कार्य मात्र लेखा परीक्षा न रहकर संस्था के सम्बन्ध में वित्तीय अनुशासन से जुडे सभी पहलुओं की समीक्षा का एक गुरूतर दायित्व भी हो जाता है।

4.2 –स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग के कार्यकलाप निम्नवत् हैं :–

- 1– सम्परीक्षाधीन स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमित एवं अनिगमित निकायों, विश्वविद्यालयों, सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, महाविद्यालयों, अन्य शिक्षण संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य शासकीय/अशासकीय संगठनों आदि के विविध लेखों की नियमित सम्परीक्षा करना एवं परिणाम से संस्थाओं तथा शासन को सूचित करना।
- 2–उपर्युक्त संस्थाओं का वित्तीय मार्ग दर्शन करना।
- 3– उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों पर अभिमत देना।
- 4– सम्परीक्षा के उपरान्त यथा आवश्यक अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित उपभोग प्रमाण पत्र निर्गत करना।
- 5– नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों, जल संस्थानों, जिला पंचायतों, बद्रीनाथ–केदारनाथ मन्दिर समितियों के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को देय पेन्शन एवं उपादान की पुष्टि एवं संस्तुति करना।
- 6– महा लेखाकार को उपर्युक्त संस्थाओं को स्वीकृत अनुदानों के उपभोग के सम्बन्ध में संहत आख्या प्रस्तुत करना।

- 7– नगर पालिका परिषदों, जिला पंचायतों, नगर निगम, विकास प्राधिकरणों एवं जल संस्थानों के लेखाकार पद हेतु अर्हकारी लेखाकार परीक्षा का आयोजन करना।
- 8– विभाग के नवनियुक्त लेखा परीक्षकों एवं जिला सम्परीक्षा अधिकारियों को आधारभूत प्रशिक्षण तथा विभागीय अधिकारियों एवं लेखा परीक्षा कर्मियों को अल्पकालिक प्रशिक्षण देना।
- 9– सेवारत विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मार्गदर्शन एवं उन्हें सम्परीक्षा से सम्बन्धित अद्यतन शासकीय आदेशों से युक्त करने के लिए उनका प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण आयोजित करना।
- 10– स्थानीय निकाय के लेखा कर्मियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देना।
- 11– विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विशिष्ट क्षेत्रों में निष्णात् गणमान्य व्यक्तियों की संगोष्ठियॉ आयोजित करना।
- 12– धर्मादा सन्दान न्यासों के निधियों को विनियोजित करने तथा उन पर प्राप्त ब्याज को प्रादेशिक एवं भारत सरकार के न्यासों को संवितरण करना।
- 13– विभागीय कार्यकलापों सहित संहत वार्षिक प्रतिवेदन विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना।
- 14– सम्परीक्षाधीन लेखाओं पर नियमानुसार सम्परीक्षा शुल्क आरोपित करना तथा उनकी वसूली करना।
- 15– सम्परीक्षाधीन स्थानीय प्राधिकारियों के अधिनियम एवं परिनियमो के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत क्षति, कपट, दुरूपयोग आदि के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध अधिभार कार्यवाही करना।
- 16– उपर्युक्त स्थानीय निकायों/संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य लेखाओं की आवश्यकतानुसार विशेष सम्परीक्षा सम्पादित करना।
- 17– शासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यो पर शासन को आख्या प्रस्तुत करना।

5 – प्रभागीय आय–व्ययक :–

5.1 यद्यपि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा स्थानीय निकायों/स्वायतशासी संस्थाओं व अन्य निगमित एवं अनिगमित संस्थाओं आदि की सम्परीक्षा की जाती है, यह प्रभाग पूर्णतया उत्तरांचल शासन के वित्त विभाग के अधीन है और इस प्रभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी

सरकारी सेवक हैं। इस बात का उल्लेख यहॉ विशेषतया इस प्रयोजन से किया जा रहा है कि सम्परीक्षाधीन संस्थाओं द्वारा कभी–कभी इस प्रकार की शंकाऐ व्यक्त की जाती है कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग भी स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं की तरह अशासकीय तो नही है।

5.2 – इस प्रभाग की समस्त प्राप्तियॉ प्रादेशिक राजकोष में जमा होती हैं तथा विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रादेशिक आय–व्ययक के माध्यम से राज्य निधि से विभागीय व्यय हेतु धन उपलब्ध कराया जाता है।

5.3 – लेखा परीक्षा शुल्क विभागीय आय का मुख्य स्रोत है। सम्परीक्षा शुल्क का आरोपण शासन द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाता है जो सम्परीक्षित संस्था द्वारा सीधे राजकोष में जमा किया जाता है। वर्तमान में निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दरें (परिशिष्ट 'ग') उत्तरांचल राज्य में भी लागू है।

6 – विभागीय आय एवं व्यय का समन्वय :– वित्तीय वर्ष 2002–2003 में विभागीय व्यय एवं इस वर्ष में आरोपित सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् है:–

क0सं0	*वित्तीय वर्ष*	*व्यय(रूपये)*	*आरोपित सम्प0शुल्क(रू0)*
1–	2002–2003	7391476	7537902=15

6.2 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा कृत कार्य सेवा प्रकृति (सर्विस नेचर) के हैं जिन पर होने वाले व्यय की तुलना आरोपित शुल्क से नही की जा सकती है।

7.1– विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था :– उत्तरांचल शासन के वित्त विभाग के शा0 सं0 5098/वि0शा0स0/2001 दिनांक 19 जून,2001 द्वारा सम्परीक्षा का कार्य निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह–स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल के नियन्त्रणाधीन एक प्रभाग के रूप में कार्यरत है जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः द्वि–स्तरीय है:–

(1) मुख्यालय स्तरीय।

(2) जिला स्तरीय।

जनपदीय कार्यालयों की सूची ***परिशिष्ट "घ"*** में दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त संवर्ती सम्परीक्षा कार्यालय भी है जिन पर प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशालय द्वारा होता है। सम्वर्ती कार्यालयों की सूची ***परिशिष्ट "घ (ख)"*** में दी गई है।

7.2–1– मुख्यालय स्तर :– स्थानीय निधि लेखा परीक्षा का प्रधान कार्यालय देहरादून में स्थित है जो निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिट नाम से जाना जाता है। इसके विभागाध्यक्ष निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल हैं जिन्हे अपने कार्यो के साथ–साथ पदेन रूप से कोषाध्यक्ष धर्मादा संदान उत्तरांचल तथा भारतीय धर्मादा संदान के उत्तरांचल वृत के कार्यो का भी सम्पादन करना पड़ता है।

7. 2–2– मुख्यालय पर निदेशक के सहयोगी के रूप में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं जिसका विवरण प्रस्तर–8 में दिया गया है। वर्तमान में जनपदों की प्रमुख बडी–बडी संस्थाओं जैसेः– नगर निगम, नगर पालिका परिषदों, विकास प्राधिकरणों, मन्दिर समितियों, इन्जीनियरिंग कालेजों, विश्वविद्यालयों आदि के लेखाओं की लेखा परीक्षा के कार्य का पर्यवेक्षण, इन निकायों के सेवा निवृत कर्मचारियों के पेंशन एवं आनुतोषिक के सत्यापन एवं पुष्टीकरण का कार्य मुख्यालय स्तर पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

7.3 – जनपद स्तरीय :– लेखा परीक्षाधीन ईकाइयॉ राज्य के शहरी क्षेत्र से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचलों तक में स्थित हैं। विभाग के लेखा परीक्षक सभी जनपदों में नियुक्त कर दिये जाते हैं जो सम्बन्धित जनपद में स्थित लेखा परीक्षाधीन ईकाइयों की लेखा परीक्षा करते रहते हैं। उनके कार्यो पर स्थानीय नियन्त्रण, पर्यवेक्षण एवं मार्ग दर्शन हेतु जनपद स्तर पर जिला सम्परीक्षा अधिकारी के कार्यालय स्थापित है। प्रदेश के 13 जिलों में अब तक 09 जिलों में जिला सम्परीक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित हैं। शेष जनपदों में अभी तक जनपदीय कार्यालय नही खोले जा सके हैं। अतः निकटवर्ती जिला सम्परीक्षा अधिकारी द्वारा ही उन जनपदों के कार्यो का सम्पादन किया जा रहा है।

8– विभाग की जनशक्ति :– वर्ष 2002–03 के अन्त में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग में श्रेणीवार स्वीकृत पदों एवं उन पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् रहा है।

क्रम0 स0	अधिकारी/कर्मचारी का समूह	स्वीकृत पद	कार्यरत कर्मियों की संख्या	कार्यरत कर्मियों का प्रतिशत
1–	समूह''क''	02	01	50 प्रतिशत
2–	समूह''ख''	14	06	43 प्रतिशत
3–	समूह ''ग''			
	(1) वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड–।	05	02	24.5 प्रतिशत
	(2) वरिष्ठ लेखा परीक्षक	83 } 114	21 } 28	
	(3) लेखा परीक्षक	26	05	
	(4) आशुलिपिक	03	शून्य	शून्य
	(5) वरिष्ठ लिपिक/लिपिक	36	18	50 प्रतिशत
	(6) वाहन चालक	03	01	33 प्रतिशत
4–	समूह ''घ''	59	09	15 प्रतिशत

9– स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष में सम्पादित सम्परीक्षा कार्य:– वर्ष 2002–2003 में अधिकांश पदों के रिक्त रहने के उपरान्त भी सम्परीक्षाधीन 2136 लेखाओं में से 619 लेखाओं की सम्परीक्षा हेतु निर्धारित 7232 के विरूद्ध 4953 दिवस लेकर 2279 मानव दिवस की बचत कर सम्परीक्षा पूर्ण की गई। इस प्रकार शासन द्वारा निर्धारित मानको में लगभग 32% समय की बचत दी गई है। शेष 1517 लेखाओं की सम्परीक्षा जनशक्ति की कमी के कारण सम्पादित नही करायी जा सकी। उल्लेखनीय है कि आलोच्य वर्ष में 1219 वन समितियों के लेखों की सम्परीक्षा अस्थायी रूप से शामिल की गई है। अवशेष लेखाओं में लगभग 1000 वन समितियों के लेखे हैं।

10.1.1 – *सम्परीक्षा में उद्घाटित अनियमिततायें* :–

(क) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2002–2003 तक में सम्परीक्षित लेखाओं में उद्घाटित विशिष्ट अनियमितताओं के अन्तर्गत कुल रू0 3,21,16461=00 की धनराशि अन्तर्निहित थी जिसका संस्थावार/शीर्षकवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	*शीर्षक*	*धनराशि*
1–	व्यपहरण/ दुर्विनियोग	1,49,508=00
2–	अधिक/ अनियमित/ अग्राहय भुगतान	12,40,9,869=00
3–	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितताऐं	10,89,177=00
4–	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमितताऐं	5,16,849=00
5–	आर्थिक क्षति	1,30,34,660=00
6–	राजकीय राजस्व की क्षति	14,91,224=00
7–	विविध अनियमितताऐं	34,25,174=00
	योग	**3,211,64,61=00**

(ख) उपरोक्त के अलावा 31 मार्च, 2003 को विभिन्न संस्थाओं/विश्वविद्यालयों द्वारा अग्रिमों का समायोजन न किये जाने के कारण रू0 1,20,06,993=00 अग्रिम असमायोजित थे जबकि नियमानुसार इनका समायोजन 31 मार्च, 2003 तक किया जाना चाहिए था।

संस्थावार

क0सं0	लेखे का नाम	अनियमितताओं में अन्तर्निहित धनराशि	असमायोजित अग्रिमों की धनराशि	योग
1	नगर पालिका परिषदें	15418746=00	---	15418746=00
2	नगर पंचायतें	2147232=00	---	2147232=00
3	विकास प्राधिकरण	1592689=00	---	1592689=00
4	कृषि उत्पा0म0समि0	1439353=00	---	1439353=00
5	बे0शिक्षा समितियां	205547=00	---	205547=00
6	महाविद्यालय	12060=00	---	12060=00
7	इण्टर कालेज/ अन्य शैक्षणिक संस्थायें	248843=00	---	248843 =00
8	नगर निगम	417925=00	---	417925=00
9	विविधलेखें/मन्दिर समितियॉ	4399=00	---	4399=00
10	इन्जीनियरिंग कालेज	375021=00	---	375021=00
11	कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्याल(फार्म लेखा)	1457957=00	598505=00	2056462=00
12	हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय	5682927=00	11408488=00	17091415=00
13	कुमायूँ विश्वविद्यालय	3113762=00	---	3113762=00
	योग	***3211646 1=00***	***12006993=00***	***44123454=00***

10.1.2 — विशेष सम्परीक्षाऐं :— प्रभाग के सम्परीक्षाधीन संस्थाओं के बारे में अत्यन्त गम्भीर प्रकृति यथा गबन/दुर्विनियोग/आर्थिक क्षति से सम्बन्धित की विशेष जांच संस्था अथवा जिलाधिकारी या आयुक्त के अनुरोध पर शासन की स्वीकृति से सम्पादित की जाती है। वर्ष 2002–2003 में शासन द्वारा कोई विशेष सम्परीक्षा सम्पादित नही करायी गयी।

10.2.1 ––सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति :– वर्ष 2002–2003 में आरोपित एवं वसूल किये गये सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् थी :–

	(रूपयों में)
01 अप्रैल, 2002 को प्रारम्भिक शेष	49265665=41
वर्ष में स्थापित मांग	7537902=15
योग	***56803567=56***
वर्ष में समाहरण	17620867=65
31 मार्च, 2003 को बकाया	***39182699=91***

10.2.2–– उपर्युक्त से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा आरोपित लेखा परीक्षा शुल्क की वसूली करने का पूरा प्रयास किया गया। इन्ही प्रयासों के फलस्वरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक करोड़ छियत्तर लाख बीस हजार आठ सौ सढ़सठ रूपये पैसठ पैसे की वसूली हुई है जिसमें गत वर्ष का बकाया भी सम्मिलित है किन्तु यह वसूली कुल बकाया धनराशि की तुलना में संतोषजनक नही रही इसका प्रमुख कारण वर्तमान में सम्परीक्षा शुल्क की वसूली के सम्बन्ध में विभाग को विशेष अधिकार प्राप्त न होना है। उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम –1984 की धारा –4(4) के अधीन केवल शासन को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सम्बन्धित स्थानीय निधि/संस्थाओं के बैंकर्स को सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से यह आदेश दे सकते हैं कि उनके बैंक खातों से सम्परीक्षा शुल्क की धनराशि राजकीय कोषागार के निर्दिष्ट लेखा शीर्षक में अन्तरित कर दे। इस सम्बन्ध में उत्तरांचल स्थानीय निधि/निकाय लेखा परीक्षा नियमावली, 2001 का प्रख्यापन अपेक्षित है ताकि शुल्क वसूली हेतु नियमावली के प्राविधानों के अधीन रहते हुए विभाग स्तर पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

11.1– धर्मादा सन्दान – श्री टी0 एन0 सिंह, निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल को उत्तरांचल शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 132/वि0अनु0–4/2002 दिनांक 10 जनवरी, 2002 द्वारा चैरिटेबुल एण्डाउमेन्ट एक्ट 1890 (एक्ट आफ 1980) की धारा–3 के अधीन उत्तरांचल की भौगोलिक सीमा में स्थित न्यासों की सम्पत्तियों के लिए कोषपाल नियुक्त किया गया है। इनकी सूची संलग्न ***परिशिष्ट (ड.)*** में दी गयी है।

उत्तरांचल के न्यासों की प्रतिभूतियों में जमा धनराशि एवं अर्जित ब्याज का विस्तृत विवरण पूर्ववर्ती राज्य से पत्राचार के उपरान्त भी अभी तक प्राप्त नही हुआ है।

12– लेखाकार परीक्षा का आयोजन :– जिला पंचायतों, नगर पालिका परिषदों एवं जल संस्थानों की लेखाकार परीक्षा के आयोजन कराने की कार्यवाही की जा रही है।

13 – जिला पंचायतों, स्थानीय निकायों, जल संस्थानों के पेन्शन एवं आनुतोषिक प्रकरणों का निस्तारण :– वर्ष 2002–03 में पेन्शन प्रकरणों की प्राप्ति एवं उनके निस्तारण की स्थिति निम्नवत् थी :–

वर्ष के प्रारम्भ में शेष	*वर्ष में प्राप्त*	*वर्ष में निस्तारित*	*अवशेष*
05	377	376	06

14 – निष्कर्ष :– उपर्युक्त प्रतिवेदन के साथ संलग्न ***परिशिष्ट "क"*** से स्पष्ट है कि इस प्रभाग को वर्ष 2002–03 में 2136 लेखाओं की लेखा परीक्षा सम्पादित करनी थी। स्टाफ की कमी के कारण सम्परीक्षा शुल्क देने वाली स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं की सम्परीक्षा को वरीयता देते हुए पूर्ण कराने का लक्ष्य निश्चित करते हुए अधिकांश संस्थाओं (619 लेखाओं) की लेखा परीक्षा समाप्त करायी गयी।

आलोच्य वर्ष में सम्परीक्षित संस्थाओं के लेखाओं से सम्परीक्षा आख्याओं के आधार पर पूर्वोक्त कण्डिका 10(1) में वर्णित **रू0 32116461=00** की वित्तीय अनियमितताऐं प्रकाश में आयी जिनमें व्यपहरण, दुर्विनियोग अधिक एंव अनियमित भुगतान, आर्थिक क्षति, राजस्व की हानि आदि प्रकरण समाविष्ट हैं।

(टी0 एन0 सिंह)
निदेशक

2— कार्यकारी खण्ड

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग, उत्तरांचल

(वर्ष 2002–2003)

वर्ष 2002–03 में जिन संस्थाओं की सम्परीक्षा सम्पादित की गयी, उनमें उद्घाटित वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रकरण अनुवर्ती पृष्ठों तथा सम्बन्धित संस्थाओं के खण्ड में दिये जा रहे हैं।

इन वित्तीय अनियमितताओं में अन्तर्निहित धनराशियों के संस्थावार विवरण निम्न प्रकार हैं :–

क0सं0	लेखे की श्रेणी	अनियमितता में अन्तर्निहित धनराशि
1–	नगर पालिका परिषदें	15418746=00
2–	नगर पंचायतें	2147232=00
3–	विकास प्राधिकरण	1592689=00
4–	कृ0उ0म0 समितियॉं	1439353=00
5–	बेसिक शिक्षा समितियॉं	205547=00
6–	महाविद्यालय	12060=00
7–	इण्टर कालेज/अन्य शैक्षिणिक संस्थायें	248843=00
8–	कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर (फार्म लेखा)	1457957=00
9–	विविध लेखे/मन्दिर समितियां	4399=00
10–	नगर निगम	417925=00
11–	इन्जीनियरिंग कालेज	375021=00
12–	हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्व विद्यालय श्रीनगर(गढ0)	5682927=00
13–	कुमायूँ विश्वविद्यालय नैनीताल	3113762=00
	योग	***32116461=00***

टिप्पणी :– उपरोक्त राशियों में असमायोजित अग्रिमों की धनराशि सम्मलित नही है।

वर्ष 2002–2003 में सम्पन्न सम्परीक्षाऐं

नगर निगम

नगर निगम देहरादून वर्ष 2000–01 :–

(क) अनियमित भुगतान :– शा0 सं0 जी0–1–2569/दस–85–28/81 दिनांक 28–2–84 के अनुसार पति-पत्नी दोनों शासकीय अथवा स्थानीय निकायों में 8 कि0मी0 की दूरी के भीतर कार्यरत एवं एक ही आवास में आवासित होने पर केवल एक को ही मकान किराया भत्ता अनुमन्य था। संस्था द्वारा इस प्रकार के दोनों ही कर्मचारियों पति–पत्नी को मकान किराया भत्ता शासनादेश के विपरीत भुगतान किया गया था जिसमें रू0 59,490=00 एवं रू0 70,040=00 कुल रू0 1,29,530=00 का अनियमित भुगतान था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5(ड.)(घ)

(ख) अनुदान की धनराशि का दुरूपयोग :– निर्माण कार्यो में ठेकेदारों को तारकोल के निर्गमन में लागत मूल्य से कम धनराशि वसूल की गयी थी तथा उनको मैक्स फाल्टै (तारकोल) निर्गत करने में लागत मूल्य का 10 प्रतिशत स्टोर चार्जेज भी नही लिया गया था। इससे संस्था को रू0 2,62,728=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–9(च)

(ग) अधिक भुगतान :– (1) सफाई कर्मचारियों को मस्टरोल में अंकित उपस्थिति से अधिक दिनों का पारिश्रमिक भुगतान करने से रू0 23,867=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ)प्रस्तर–5(क)

(2) अनियमित वेतन बृद्धि स्वीकृत करने से श्री राकेश कुमार बेलदार को रू0 1,800=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5(ग)

नगर पालिका परिषदें

नगर पालिका परिषद हरिद्वार वर्ष 2001–2002 :–

(क) आर्थिक क्षति :–

1–नगर विकास अनुभाग–6 के शा0सं0 965/9–6–95 दिनांक 31 मार्च, 1995 के कम में पालिका प्रस्ताव संख्या –10 दिनांक 27 दिसम्बर, 1996 द्वारा तहबाजारी शुल्क की दर को रू0 1=00 प्रति वर्गमीटर के स्थान पर रू0 5=00 प्रति वर्गमीटर संशोधित किया गया था। इस आशय की विज्ञप्ति सं0 1457/सा0ग0का0अ0/96–97 दिनांक 6–01–1997 शासकीय गजट में प्रकाशित करायी गयी थी। पालिका द्वारा उक्तवत् निर्धारित तहबाजारी शुल्क से कम दर पर वसूली किये जाने से रू0 23,38,887=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1

2– शा0सं0 528/नौ–9–99–23ज दिनांक 29–4–99 द्वारा आवासीय भवनों के अनुरक्षण एवं अन्य व्ययों पर बृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए इनके मासिक किराये में वृद्धि के आदेश निर्गत किये थे। पालिका द्वारा इसके कम में कोई कार्यवाही नही किये जाने से संस्था को रू0 1,76,817=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो (ब) प्रस्तर–7

3– पालिका के शुल्कों आदि की वसूली ठेकेदारों के द्वारा कराये जाने की स्थिति में देय धनराशि बिलम्ब से जमा किये जाने पर 12 प्रतिशत बिलम्ब शुल्क की वसूली का प्राविधान ठेकों की शर्तो में किया गया था। विभिन्न ठेकेदारों द्वारा धनराशि निर्धारित समय के पश्चात् अत्यन्त बिलम्ब से वसूली किये जाने पर भी बिलम्ब शुल्क की वसूली नही की गयी थी। इससे पालिका को रू0 56,496=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग दो(ब) प्रस्तर–3

(ख) राजस्व की क्षति :– ठेका फूल फरोसी वर्ष 2001–2002 हेतु श्री रमेश शर्मा को रू0 5,41,000=00 में श्री महेश कुमार को रू0 425000=00 में श्री राधेश्याम को रू0 6,70,000=00

में, श्री हरीश सिंघल को रू0 3,30,000=00 में तथा श्री देवकी नन्दन शर्मा को रू0 2,35,000=00 में स्वीकृत थे। इन ठेकेदारों के अनुबन्धों हेतु कमशः रू0 67,625=00, रू0 53,125=00, रू0 83,750=00, रू0 41,250=00 तथा रू0 29,375=00 कुल रू0 2,75,125=00 मूल्य के स्टाम्प पत्र प्रयुक्त किये जाने चाहिए थे। ऐसा न किये जाने से रू0 275125=00 की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–4

(ग) अनियमित भुगतान :– (1) पालिका कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि अभिदान की कटौती की धनराशि विलम्ब से उनके भविष्य निधि खातों में जमा करने के कारण पालिका को रू0 1,71,719=70 ब्याज के रूप में अनियमित भुगतान करना पड़ा।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–8

(2) पालिका कर्मचारियों को कार्यालय दिवसों के अतिरिक्त समय पर कार्य करने के फलस्वरूप रू0 5,43,433=00 की धनराशि अतिकाल भत्ते के रूप में बिना किसी प्राविधान के भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–12

(3) शासनादेश के प्राविधानों के विपरीत दैनिक वेतन पर कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी थी तथा चुने गये सम्परीक्षा माहों में इन्हें रू0 2,14,102=00 का भुगतान हुआ था जो अनियमित था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–15

नगर पालिका परिषद हरिद्वार वर्ष 2000–01 :–

(क) अनियमित भुगतान :– (1) पालिका जलकल एवं विद्युत लाइन के कर्मचारियों को रू0 5,06,691=00 तथा अन्य कर्मचारियों को रू0 4,74,299=00 अतिकाल भत्ते का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(3)एवं (4)

(2) शासन द्वारा अर्जित अवकाश का सेवा कालीन नगदीकरण की सुविधा को समाप्त कर दिये जाने के उपरान्त भी पालिका कर्मचारियों को सम्परीक्षा हेतु चयनित माहों में रू0 97,306=00

अर्जित अवकाश का सेवा कालीन नगदीकरण के रूप में अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो (ब) प्रस्तर–1(5)

(ख) व्यपहरण – व्यय प्रमाणक सं0 30 दिनांक 03–11–2000 द्वारा रू0 10908=00 का आहरण कर वितरण दर्शाया था किन्तु व्यय प्रमाणक मात्र रू0 9,349=00 का ही था रू0 9349=00 का ही सम्बन्धित को वितरण किया गया था। इस प्रकार भुगतानित धनराशि से अधिक का आहरण करके रू0 1,559=00 का व्यपहरण हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1

(ग) आर्थिक क्षति :– (1) गृहकर एवं जलकर हेतु भवनों का वार्षिक मूल्याकंन सम्बन्धित भवनों के प्राप्त किराये से भी कम किये जाने के कारण रू0 21,84,456=75 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो (ब) प्रस्तर–1(15)

(2) वर्तमान वर्ष के गृहकर एवं जलकर के बिलों में पिछली बकाया धनराशि रहने पर भी उपविधियों के विपरीत छूट प्रदान किये जाने से रू0 6,594=95 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(16)

(3) आवासीय भवनों के किराये में शासन के निर्देशों के अनुरूप बृद्धि न किये जाने से रू0 2,37,240=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(12)

नगर पालिका परिषद रूड़की (हरिद्वार) वर्ष 2001–02 :–

(क) राजस्व की क्षति :– तहबाजारी, अनलोडिंग, साईकिल स्टैण्ड एवं जलकल आपूर्ति ठेकों में ठेकेदारों से अनुबन्ध निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पत्रों पर न कराये जाने से रू0 61,340=00 की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(2)

(ख) अधिक भुगतान :– (1) सेवा निवृत्त पाइपलाइन फिटर श्री सिन्द्रा हसन के अवकाश खाते में सेवा निवृत्ति दिनांक को उपार्जित अवकाश 09 दिन शेष थे उन्हें 165 दिनों के

उपार्जित अवकाश के समतुल्य धनराशि भुगतान करने के फलस्वरूप रू0 11622=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(3)

(2) श्री विष्णु अवस्थी, अधिशासी अधिकारी का मूल वेतन दिनांक जुलाई, 2001 को रू0 7,400=00 था किन्तु अगस्त 2001 से मार्च, 2002 तक उन्हें वेतन का भुगतान रू0 8,000=00 मूल वेतन के आधार पर किया गया था। इस हेतु शासन की स्वीकृति प्राप्त नही थी। इससे रू0 7,032=00 का इस अवधि में अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(13)

(ग) आर्थिक क्षति :– (1) मकतूल पुरी स्टेशन रोड एवं रामनगर रोड स्थित प्रथम तल की दुकानों को आबंटित/किराये पर न दिये जाने के कारण रू0 2,83,835=00की क्षति हुई।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(9)

(2) नाला सफाई ठेकेदार द्वारा सफाई निर्धारित अवधि के अन्तर्गत नही कराये जाने पर रू0 200=00 प्रतिदिन अनुबन्ध की शर्तानुसार अर्थदण्ड की वसूली की जानी थी। ठेकेदार द्वारा माह अगस्त, 2001 में की जाने वाली सफाई फरवरी, 2002 तक नही की गयी थी किन्तु इस अवधि हेतु उक्तानुसार अर्थदण्ड की वसूली नही की गयी थी। इससे संस्था को रू0 42,400=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(10)

(3) शो टैक्स का निर्धारण कम किये जाने से संस्था को रू0 73,000=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(11)

नगर पालिका परिषद जसपुर (उधमसिंह नगर) वर्ष 2000–01 :–

राजस्व क्षति :– निर्माण कार्यो से सम्बन्धित ठेकेदारो के अनुबन्धों में निर्धारित मूल्य से कम धनराशि के स्टाम्प पत्रों को प्रयोग किये जाने से रू0 99,625=00 की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–2(3)

नगर पालिका परिषद किच्छा (उधमसिंह नगर) वर्ष 2000–01 :–

राजस्व क्षति :– तहबाजारी, पार्किंग शुल्क एवं स्लाटर हाउस के ठेकेदारों के अनुबन्ध निर्धारित राशि से कम मूल्य के स्टाम्प पत्रों पर कराये जाने से रू0 1,40,881=00 की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–3(ड.)

नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा वर्ष 2001–02 :–

(क) अनियमित भुगतान :– (1) शासनादेश के विपरीत दैनिक वेतन पर कर्मचारी नियुक्त किये गये थे। चयनित सम्परीक्षा माहों में रू0 67,975=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –1(ब)

(2) श्री बी0के0 विष्ट अधिशासी अधिकारी को यात्रा भत्ते मद में रू0 2,725=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(व)

(3) निर्माण कार्यों में विभिन्न ठेकेदारों को रू0 1,06,706=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–2(य)

(ख) आर्थिक क्षति :– (1) आई0डी0एस0एम0टी0 किराये में अनियमित छूट दिये जाने से पालिका को रू0 18,608=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–2(अ)

(2) विभिन्न व्यवसायियों के लाइसैन्सों का नवीनीकरण न कराये जाने से पालिका को रू0 1,4100=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–2(स)

नगर पालिका परिषद पिथौरागढ़ वर्ष 2001–02 :–

(क) अधिक भुगतान :– (1) पालिका कर्मचारियों को रू0 1,96,875=00 का सीमान्त भत्ता अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–11

(2) विद्युत बिलों के भुगतान में रू0 6,143=56 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–12

(ख) आर्थिक क्षति :–(1) तहबाजारी शुल्क वसूल न किये जाने से पालिका को रू0 20,205=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(3)

(2) पालिका दुकानों को किराये पर न लगाये जाने से पालिका को रू0 2,08,000=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(5)

नगर पालिका नरेन्द्रनगर (टिहरी) वर्ष 2001–2002 :–

अधिष्ठान :– शासनादेश के विपरीत 08 दैनिक कर्मचारी दैनिक वेतन पर नियुक्त करके रू0 2,42,725=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5(1)

नगर पालिका परिषद टिहरी वर्ष 2001–02 :–

शासनादेश संख्या 4649/9–1–98–116(सा)/98 दिनांक 6–11–98 में दिये गये निर्देशों के विपरीत दैनिक वेतन पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर रू0 11,92,090=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(ड.)

नगर पालिका परिषद उत्तरकाशी वर्ष 2001–02 :–

अनियमित भुगतान :– (1) बोर्ड प्रस्ताव संख्या–04(8) दिनांक 3–5–2001 के अनुसार पालिका द्वारा 59 स्थायी कर्मचारियों को रू0 1,500=00 प्रति कर्मचारी की दर से अतिरिक्त बोनसरू0 88,500=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4

(2) शासनादेश के विपरीत पालिका द्वारा 30 कर्मचारियों को दैनिक वेतन पर नियोजित कर रू0 5,34,725=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5

नगर पालिका गोपेश्वर (चमोली) वर्ष 2001–02 :–

(क) आर्थिक क्षति :– शासनादेश के अनुसार पालिका की दुकानों को सम्बन्धित किरायेदारो द्वारा अन्य किरायेदारों को सबलेट करने पर 50 प्रतिशत किराये की वृद्धि की जानी थी। पालिका द्वारा ऐसे न किये जाने से पालिका को रू0 7,250=00 किराया की क्षति हुई।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6(क)

(ख) अनुदान राशि का दुरूपयोग :– शुलभ इन्टरनेशनल के पत्रांक एस0 आ0 एस0 एस0 ओ0/86 देहरादून/98–99 दिनांक 2–11–98 द्वारा नगर पालिका गोपेश्वंर को अपर नैग्वार में शौचालय अपने स्तर बना लेने हेतु अनुरोध किया था जबकि इस हेतु रू0 1,76,000=00 का अग्रिम भुगतान संस्था को किया गया था। संस्था द्वारा शौचालय बना लेने की पुष्टि नही की गयी थी जिस कारण रू0 1,76,000=00 का दुरूपयोग हुआ।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–9(2)

नगर पालिका परिषद दुगड्डा (पौड़ी गढ़वाल) वर्ष 2001–02 :–

(क) आर्थिक क्षति :– पालिका भवन का किराया निर्धारित दर से कम दर पर लिये जाने से संस्था को रू0 13,424=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6

(ख) अनियमित भुगतान :– अधिशासी अधिकारी को पालिका आवास आवंटित था किन्तु इसके बावजूद उनको रू0 2,455=00 गृह किराया भत्ता का अनियमित भुगतान किया गया।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(ग)

(ग) विविध :–ठेकेदारों/आपूर्ति कर्ताओं के बिलों से आयकर हेतु रू0 3,675=20 एवं बिकीकर के लिए रू0 47,609=77 की धनराशि की कटौती की गयी थी किन्तु इस राशि को राजकोष में जमा नही किया गया था। इससे राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–9

नगर पालिका परिषद कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) वर्ष 2001–02 :–

आर्थिक क्षति :– (1) पूर्व में पालिका दुकान संख्या 05 एवं 06 श्री गरीबा को आवंटित थी। दुकाने श्री गरीबा से खाली कराकर अन्य को आवंटित की गयी थी किन्तु श्री गरीबा से उक्त दुकानों का किराया रू0 14,459=00 की वसूली नही की गयी थी। इस प्रकार रू0 14,459=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6(क)

(2) निर्धारित दर से कम दर पर तहबाजारी की वसूली करने से पालिका को रू0 16,920=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6(घ)

नगर पालिका परिषद श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) वर्ष 2001–02 :–

(क) अनियमित भुगतान :– (1) पालिका कर्मचारियों को शासनादेश के विपरीत रू0 1,42,048=00 की धनराशि उपार्जित अवकाश के सेवा कालीन नगदीकरण के रूप में अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–5(क)

(2) श्रीमती गणेशी देवी, चपरासी को समय से पूर्व वेतन बृद्धि स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप रू0 1,024=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)

(3) शासनादेशों के विपरीत रू0 6275=00 बधाई सन्देशों पर एवं रू0 32,195=00 निर्धारित प्रयोजनों से भिन्न विज्ञापनों पर व्यय किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1 (ड.)(च)

(ख) राजस्व क्षति :– सफाई ठेकेदारों से आयकर की कटौती नही किये जाने से रू0 6,697=00 राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ग)

नगर पालिका परिषद टनकपुर (चम्पावत) वर्ष 2000–01से 2001–02 :–

(क) आर्थिक क्षति :– त्रुटिपूर्ण गृहकर निर्धारण से पालिका को रू0 3,500=00 आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–7

(ख) अनियमित भुगतान :– (1) सीमान्त भत्ता मद में कर्मचारियों को रू0 1,69,875=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–4(1)

(2) अध्यक्ष नगर पालिका टनकपुर को उनके द्वारा किये गये व्यय रू0 10,688=35 की अनियमित प्रतिपूर्ति की गयी थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–3

(ग) परिहार्य व्यय :– शासकीय देयों की निर्धारित समय पर अदायगी नही किये जाने के कारण रू0 2,995=00 का परिहार्य व्यय किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–2

नगर पालिका परिषद टनकपुर (चम्पावत) वर्ष 1997–98से 1999–2000 :–

(क) अमान्य/अनियमित भुगतान :– (1) मेला सुरक्षा कर्मियों पर रू0 22,739=00 का पालिका निधि से अमान्य भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(क)

(2) अध्यक्ष को रू0 1,410=00 यात्रा भत्ते का अनियमित भुगतान किया गया था

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(ख)

(3) वाहन भत्ता मद में रू0 7,200=00 अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(घ)

(ख) आर्थिक क्षति :– (1) अधिकृत एजेन्सी से वर्दी क्रय नही किये जाने से रू0 12,374=00 की छूट का लाभ प्राप्त न करके आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(ग)

(2) पालिका अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवंटित आवासों का किराया की वसूली न किये जाने से रू0 2,52,448=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(ड.)

(3) दिनांक 31.7.90 को पथकर समाप्त कर दिये जाने के फलस्वरूप टौल; चुंगी मोहरिर के पदों को मृत घोषित कर दिया था परन्तु उक्त दिनांक के पश्चात् भी उक्त पदों पर नियुक्तियॉ की गई। फलस्वरूप मृत संवर्ग के पदों पर नियुक्ति कर रू0 9,00,000=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–2

(4) पार्किंग ठेकेदार को 50 प्रतिशत की छूट दिये जाने से रू0 1,90,000=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–3(ब)

(ग) राजस्व क्षति :– (1) अनुबन्ध हेतु निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर प्रयुक्त न किये जाने से रू0 33,207=00 की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ख)

(2) मैसर्स जे0एन0 इलेक्ट्रिकल्स हल्द्वानी तथा मैसर्स ईस्माइल इंजीनियरिंग वर्क्स से स्रोत पर आयकर एवं बिक्रीकर की कटौती न किये जाने से रू0 17,803=00 राजस्व क्षति हुई।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–3(ड.)

नगर पालिका परिषद भवाली (नैनीताल) वर्ष 2000–2001 :–

(क) राजकीय अनुदान :–राजकीय अनुदानों की धनराशि रू0 6,04,884=00 का दुर्विनियोग किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1

(ख) आर्थिक क्षति :– (1) विलम्ब से लाइसैन्स बनाये जाने पर भी निर्धारित अर्थदण्ड की वसूली नही किये जाने से रू0 8,300=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–5(अ)

(2) 04 दुकानों के अवैध कब्जों को नियमित किये जाने से रू0 75,000=00 प्रीमियम एवं रू0 7,200=00 किराया कुल रू0 82,200=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब)प्रस्तर –5(स)

(3) अधिशासी अधिकारी द्वारा कर निर्धारण में वार्षिक मूल्यांकन एवं अवधि में परिवर्तन किये जाने से संस्था को रू0 1,03,680=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–5(य)

(4) निर्माण कार्यो हेतु सामग्री उच्च दर पर कय किये जाने से रू0 3,555=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–7(ब)

नगर पालिका परिषद नैनीताल वर्ष 2000–01 एवं 2001–02 :–

(क) अमान्य व्यय :– शासन की स्वीकृति के बिना ऋण लेकर रू0 98,929=00 ब्याज का अनियमित भुगतान किया गया था। ।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(क)

(ख) आर्थिक क्षति :– (1) घोड़ा लाइसैन्स न बनाये जाने से रू0 74,688=00 आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(घ)

(2) डी0एस0 ए0 नैनीताल से फ्लैट की निर्धारित धनराशि न वसूल किये जाने से रू0 50275=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(ड.)

(3) लेक ब्रिज पास की दर आधी किये जाने से पालिका को रू0 25500=00 की क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(च)

(4) सफाईकर एवं भवनकर के अवशेष को नियमों के विपरीत माफ किये जाने से रू0 35715=34 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–13

(ग) अनियमित व्यय :– मानदेय मद में रू0 2736=00 का अनियमित व्यय किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(च)

नगर पालिका परिषद काशीपुर (उधमसिंह नगर) वर्ष 1999–2000 :–

(क) अनियमित भुगतान :– (1) कर्मचारियों को रू0 48,280=00 का अनियमित बोनस भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(ख)

(2) पर्वतीय भत्ता मद में कर्मचारियों को रू0 10,800=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(ग)

(ख) राजस्व क्षति :– ठेकेदारों के अनुबन्धों में कम मूल्य के स्टाम्प प्रपत्रों के प्रयोग किये जाने से रू0 2,11,417=00 की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–3(ज)

नगर पालिका परिषद बाजपुर (उधमसिंह नगर) वर्ष 2000–01 :–

(क) अनियमित भुगतान :–कर्मचारियों को शासनादेश के विपरीत रू0 27,579=00 उपार्जित अवकाश नगदीकरण का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(ड.)

(ख) आर्थिक क्षति :– मकान का नामान्तरण होने से पूर्व भवन स्वामी से रू0 8,179=00 भवनकर की वसूली नही किये जाने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–3(ख)

(ग) राजस्व क्षति :– (1) गृहकर में अनियमित छूट से रू0 4,990=00 की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ)प्रस्तर–3(घ)

(2) निर्धारित धनराशि से कम मूल्य के स्टाम्प प्रपत्र प्रयुक्त किये जाने से रू0 73,876=00 राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–3(ड.)

नगर पालिका बागेश्वर परिषद वर्ष 2000–01 :–

(क) आर्थिक क्षति :– (1) पालिका क्षेत्रान्तर्गत लाईसेन्सों की नयी दरें लागू न किये जाने के कारण रू0 37,800=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–3

(ख) अधिक /अनियमित/परिहार्य भुगतान :– शौचालय निर्माण में रू0 8,472=00 अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(घ)

(ग) राजस्व क्षति :– विभिन्न ठेकेदारों के बिलों से बिक्रीकर की कटौती नही किये जाने से रू0 35,479=00 की राजस्व की हॉनि हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–2(स)

नगर पालिका परिषद हल्द्वानी (नैनीताल) वर्ष 2000–01 :–

(क) व्यपहरण :– आयकर जमा हेतु आहरित धनराशि रू0 68,473=00 तथा आडिट फीस जमा किये जाने हेतु रू0 10,000=00 आहरित किये गये थे किन्तु इन्हें सम्बन्धित शीर्षकों में जमा न कराकर रू0 78,473=00 का व्यपहरण कर लिया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1

(ख) अनियमित भुगतान :– अधिशासी अधिकारी पद पर शासन द्वारा नई तैनाती पर पूर्व से कार्यरत व्यक्ति द्वारा विलम्ब से कार्यमुक्त होने के कारण लम्बी अवधि तक एक पद पर दो अधिकारी कार्यरत रहे। इस अवधि में नये अधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पूर्व में कार्यरत अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त होने की अवधि तक एक पद पर दो अधिकारियों का वेतन आहरित किया गया है। इस पर रू0 54,264=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–(11)

(ग) आर्थिक क्षति :– (1) आटो रिक्शा चालकों से लाइसेन्स शुल्क की वसूली न किये जाने से रू0 1,49,760=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–3

(2) प्राइवेट क्लीनिक एवं नर्सिग होम आदि के लाइसेन्स नही बनाये जाने से रू0 1,61,000=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4

(3) शराब विक्रेताओं के लाइसेन्स न बनाये जाने से रू0 1,56,000=00 लाइसेन्स शुल्क की प्राप्ति नही हुई थी; जिससे आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5

(4) होडिंग शुल्क ठेकेदार द्वारा ठेके की धनराशि रू0 2,66,000=00 में से मात्र रू0 1,59,600=00 ही जमा किये गये शेष धनराशि जमा नही किये जाने से रू0 1,06,400=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो (ब) प्रस्तर–13

(5) सेवा निवृत्त/अन्यत्र स्थानान्तरित कर्मचारियों आदि से रू0 22,400=00 स्थाई अग्रिम का समायोजन अथवा वसूली नही होने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–15

नगर पालिका परिषद मसूरी (देहरादून) वर्ष 2001–02 :–

अनियमित भुगतान :– रज्जू मार्ग का अनुरक्षण अनुबन्ध की शर्त सं0 06 के अनुसार सम्बन्धित लाइसेन्सी फर्म को करना था। इसके विपरीत पालिका द्वारा रज्जू मार्ग के अनुरक्षण पर रू0 2,98,000=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4

नगर पालिका परिषद विकासनगर (देहरादून) वर्ष 2001–02 :–

अनियमित भुगतान :– संस्था के कर्मचारियों को अवैतनिक अवकाश पर रहने पर उस वर्ष का बोनस देय नही था। संस्था के कतिपय कर्मचारी वर्ष 2000–2001 में अवैतनिक अवकाश पर रहे थे किन्तु सन्दर्भित वर्ष हेतु उन्हें रू0 37,005=00 का बोनस अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)

नगर पंचायतें

नगर पंचायत हरवर्टपुर (देहरादून) वर्ष 2001–02 :–

अनियमित भुगतान :– (1) 01 जनवरी, 1996 से 31 मार्च, 1999 तक मकान किराया भत्ता मद में रू0 25,660=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(क)

(2) नगर विकास अनुभाग–1 शा0सं0 8608/नौ–8677–सा–75 दिनांक 25 मार्च, 1987 के अनुसार अधिशासी अधिकारी को रू0 100=00 प्रतिमाह वाहन भत्ता अनुमन्य था। इसके विपरीत रू0 800=00 प्रतिमाह का अनियमित भुगतान किया गया था तथा कुछ कर्मचारियों को वाहन भत्ता अनुमन्य नही था फिर भी उन्हे वाहन भत्ते का भुगतान किया गया। इस प्रकार कुल रू0 9,900=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)

नगर पंचायत कर्णप्रयाग (चमोली) वर्ष 2000–01 एवं 2001–02 :–

(क) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमितताऐं :– श्री सहेन्द्र सिंह नेगी को बिना पद सृजन कराये दिनांक 19–10–2001 से 30–11–2001 तक मूल वेतन रू0 4,500=00 के आधार पर कुल रू0 10,105=00 का भुगतान किया गया था। इन्हें दिनांक 19–10–2001 से 31–10–2001 तक 12 दिन का रू0 100=00 प्रतिदिन की दर से रू0 1,200=00 दैनिक वेतन का भी भुगतान किया गया था। इस प्रकार कुल 11,305=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5

(ख) राजस्व क्षति :– प्रहलाद सती के मकान से पिण्डर नदी तक सड़क निर्माण कार्य के अनुबन्ध में निर्धारित दर से कम मूल्य के स्टाम्प पत्रों का प्रयोग किये जाने से रू0 1,262=50 की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)

नगर पंचायत बद्रीनाथ (चमोली) वर्ष 2001–02 :–

अनियमित भुगतान :– (1) प्रभारी अधिकारी को मानदेय रू0 150=00 पर मंहगाई भत्ता 170 प्रतिशत की दर से दिये जाने के कारण रू0 255=00 प्रति माह का भुगतान करने के कारण कुल रू0 3,060=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ग)

(2) शासनादेश के विपरीत दैनिक वेतन पर कर्मचारी नियोजित कर रू0 46,505=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)

नगर पंचायत गंगोत्री (उत्तरकाशी) वर्ष 2001–02 :–

अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमितताऐं :– आलोच्य अवधि में 12 कर्मचारी दैनिक/ संहत वेतन पर कार्यरत थे। इन्हें 1,67,400=00 का भुगतान राज्य वित्त आयोग से बिना शासन की अनुमति के किया गया था।

भाग–दो प्रस्तर–1(क)(आ)(4)

नगर पंचायत बडकोट (उत्तरकाशी) वर्ष 20001–02 :–

अनियमित भुगतान :– (1) बोर्ड प्रस्ताव सं0–2 दिनांक 22–5–2001 के आधार पर माह अक्टूबर, 2001 में पालिका द्वारा रू0 11,410=00 में गेहूँ निकालने हेतु एक थ्रैशर का कय किया था। गेहूँ निकालने की मशीन नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 7 एवं 8 के अन्तर्गत पालिका के कर्तव्यों के अन्तर्गत आच्छादित नही है। अतः रू0 11,410=00 अनियमित व्यय किया गया।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ड.)

(2) नगर पालिका अधिनियम की धारा–37 के विपरीत अध्यक्ष को रू0 18,500=00 का अनियमित भुगतान किया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ग)(1)

नगर पंचायत लक्सर (हरिद्वार) वर्ष 2001–02 :–

आर्थिक क्षति :– गृहकर का निर्धारण विलम्ब से किये जाने के कारण रू0 6,88,791=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(1)

नगर पंचायत लण्डौरा (हरिद्वार) वर्ष 2001–02 :–

अनियमित /अधिक भुगतान :– मै0 किरन कन्सट्रक्शन कं0 को डिस्मेण्टिलिंग में रू0 3,354=00 घटाये न जाने के कारण रू0 3,354=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)

नगर पंचायत गोचर (रूद्रप्रयाग) वर्ष 2001–02 :–

(क) राजस्व क्षति :– ठेकेदारों से अनुबन्ध निर्धारित दर से कम मूल्य के स्टाम्प पत्रों में कराये जाने से रू0 5,842=00 की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–6(क)

(ख) आर्थिक क्षति :– द्क किराया की वसूली नही किये जाने से संस्था को रू0 1,900=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–9(ग)

नगर पंचायत चम्बा (टिहरी गढ़वाल) वर्ष 2001–02 :–

अनियमित व्यय :– नगर पंचायत द्वारा बिना पद सृजन किये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी थी। उप सम्परीक्षा हेतु चयनित माहों में इनके वेतनादि पर रू0 26,960=00 का व्यय किया गया जो कि अनियमित था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(क)(2)

नगर पंचायत मुनि की रेती (टिहरी गढ़वाल) वर्ष 2001–02 :–

अनियमित व्यय :– नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 37 विपरीत अध्यक्ष को रू0 16,316=00 का यात्रा भत्ते में अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)

नगर पंचायत कीर्तिनगर (टिहरी गढ़वाल) वर्ष 2001–02 :–

अनियमित भुगतान :– नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 37 के विपरीत अध्यक्ष को रू0 14,600=00 का अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)

नगर पंचायत द्वाराहाट (अल्मोड़ा) वर्ष 2001–02 :–

अधिक भुगतान :– (1) श्रीमती आभा काण्डपाल कनिष्ठ लिपिक को रू0 29,174=00 वेतन मद में अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(ब)

(2) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान में रू0 45,484=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(ब)

नगर पंचायत चम्पावत वर्ष 2000–2001 एवं 2001–02 :–

(क) राजकीय अनुदानों का दुर्विनियोग :– अप्रयुक्त राजकीय आवर्तक अनुदानों की राशि रू0 1,08,293=00 का दुर्विनियोग किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1

(ख) अनियमित भुगंतान :– नगर पंचायत के कर्मचारियों को शासनादेशों के विपरीत उपार्जित अवकाश का सेवाकालीन नगदीकरण रू0 13,312=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5

(ग) आर्थिक क्षति :– सामुदायिक भवन का किराया न लिये जाने से रू0 26,084=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–9

नगर पंचायत देवप्रयाग (टिहरी गढ़वाल) वर्ष 2001–02 :–

अनियमित भुगतान :– (1) शासनादेश सं0 4649/9–1–90–116(सा)/98 दिनांक 6–11–98 द्वारा दैनिक संहत वर्कचार्ज एवं मानदेय पर कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध था तथापि 04 कर्मचारी रू0 1,500=00 प्रतिमाह संहत वेतन पर नियोजित कर वर्ष में रू0 72,000=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–7

(2) सौन्दर्यीकरण सम्बन्धी आगणन रू0 2,99,200=00 का था। इस हेतु रू0 297404=00 का अनुदान प्राप्त था किन्तु इस मद में रू0 3,56,298=00 का भुगतान किया गया था। इस प्रकार रू0 58894=00 का भुगतान पंचायत निधि से किया गया था। जिसमें रू0 57,098=00 की धनराशि आगणन से भी अधिक होने के कारण अनियमित थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ग)

नगर पंचायत लोहाघाट (चम्पावत) वर्ष 2000–01 :–

(क) अनियमित भुगतान :– (1) संस्था कर्मचारियों को सीमान्त भत्ते के अवशेष का रू0 6,950=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1

(2) अधिशासी अधिकारी को वेतन मद में रू0 15,000=00 अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–8

(ख) आर्थिक क्षति :–(1) निर्धारित दर पर कुली लाइसेन्स न बनाये जाने से नगर पंचायत को रू0 13,000=00 लाइसेंन्स शुल्क की वसूली से वंचित रहने के कारण आर्थिक क्षति हुई।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–2

(2) गृहकर रू0 7,686=00 की वसूली न किये जाने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ब)

नगर पंचायत लालकुआँ (नैनीताल) वर्ष 2001–02 :–

अनियमित एवं अनानुमोदित व्यय :– (1) टेलीफोन एवं सफाई पर रू0 17,107=00 का अनानुमोदित व्यय किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–2

(2) ठेकेदारों को रू0 1,749=00 का अधिक एवं अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ)प्रस्तर–4

(3) बाह्य कर्मचारी को रू0 1,368=00 यात्रा भत्ता के रूप में अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–3

नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) वर्ष 2001–02 :–

(क) अनियमित भुगतान :– (1) श्री दिलीपं कपूर, अधिशासी अधिकारी को संस्था के अतिरिक्त अन्यत्र कार्यरत रहने की अवधि हेतु रू0 12,188=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–2

(2) अध्यक्ष को यात्रा भत्ते के रूप में रू0 7,075=00 का नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा –37 के विपरीत अनियमित भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–10

(3) यात्रा भत्ता, स्टेशनरी, प्रकाश उपकरणों आदि पर रू0 32,446=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1

(ख) आर्थिक क्षति :– पार्किंग ठेके की शर्तो के अनुसार रू0 77,000=00 की वसूली नही किये जाने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–7

नगर पंचायत कालाढूंगी (नैनीताल) वर्ष 2001–02 :–

(क) अनानुमोदित व्यय :–सफाई उपकरण कय पर रू0 1,14,579=00 का अनानुमोदित व्यय किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–2

(ख) राजस्व क्षति :–अनुबन्ध निर्धारित दर की तुलना में कम स्टाम्प प्रपत्रों के प्रयोंग से रू0 1,13,480=00 की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–3

(ग) आर्थिक क्षति :– (1) दुकानों की प्रीमियम रू0 1,39,680=00 की दो वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी वसूली न होने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4

(2) करो/शुल्कों की सम्बन्धित ठेकेदारों से वसूली सम्बन्धित वर्ष के भीतर न किये जाने से रू0 1,83,714=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5

महाविद्यालय

आर्य कन्या महाविद्यालय अल्मोड़ा वर्ष 2001–02 :–

अधिक भुगतान :– (1) कर्मचारियों को रू0 10,020=00 का मकान किराया भत्ता अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(2)(अ)

(2) छात्रवृत्ति के वितरण मे रू0 2,040=00 अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(2)(ब)

इंजीनियरिंग कालेज

गोविन्द बल्लभ पन्त इन्जीनियरिंग कालेज घुडदौड़ी वर्ष 2000–01 :–

(क) ***आर्थिक क्षति :–*** प्रधानाचार्य द्वारा कार का उपयोग किये जाने पर शासन द्वारा निर्धारित रू0 500=00 प्रति माह की उनसे वसूली नही की गयी थी। इससे वर्ष में रू0 6,000=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(द)

(ख) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमितताऐं :– (1) चतुर्थ श्रेणी के सृजित पदों की संख्या से दो कर्मचारी अधिक नियुक्त किये गये थे। इन्हे वर्ष मे रू0 93,000=00 वेतन मद में अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5(1)

(2) श्री आर0एस0 नेगी कार्यालय अधीक्षक की सेवा अवधि एक वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही बोनस के रूप में रू0 2,419=00 सम्बन्धित शासनादेश के प्रतिबन्धों के विपरीत भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5(2)

(ग) अधिक भुगतान :– (1) संस्था द्वारा विज्ञापन मै0 सत्या एडवरटाइजिंग कम्पनी के माध्यम से दिये गये थे। उक्त कम्पनी को विज्ञापन का भुगतान समाचार पत्रों के विज्ञापन पत्रों के

विज्ञापन दर की तुलना में उच्चतर दर से भुगतान किये जाने से रू0 8,804=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(च)(1)(2)

(2) रेट कान्ट्रेक्ट की दर से उच्चतर दर पर 10 टेविल कय किये जाने से रू0 32,200=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब)प्रस्तर–1(ठ)

(3) श्री राजेश खत्री अतिथि प्रवक्ता को रू0 698=00 तथा श्री सी0एस0 नवनी वाहन चालक को रू0 142=00 का यात्रा भत्ता मे दोहरा भुगतान होने से अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ड)

(4) आवासीय टेलीफोनों के बिलों मे रू0 30,258=00 शासनादेश की शर्तो के विपरीत संस्था निधि से भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ग)

(घ) राजकीय अनुदानों का उपयोग :– अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा पौड़ी को आन्तरिक सड़क पक्का करने/विस्तारीकरण हेतु रू0 4,82,000=00 के आगणन के विपरीत मात्र रू0 2,00,000=00 दिनांक 31–3–97 को निर्गत थे। उत्तरांचल विकास विभाग उ0प्र0 आडिट सेल द्वारा धनराशि के उपयोग अथवा वापसी सम्बन्धी निर्देशों के बावजूद उक्त धनराशि रू0 2,00,000=00 का उपभोग लेखा की प्राप्ति अथवा वापसी नही हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–9

(ड.) आर्थिक क्षति :– श्री योगेश्वर लाल पूर्व रजिस्ट्रार एवं श्री एम0एन0एस0 रौथाण पूर्व परीक्षा प्रभारी अब संस्था की सेवा से अन्यत्र चले गये थे। इन्हे कमशः रू0 1,000=00एवं 500=00 स्थायी अग्रिम स्वीकृत थे। उक्त की वापसी नही हुई थी इससे रू0 1,500=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(क)

बेसिक शिक्षा समितियॉ

बेसिक शिक्षा समिति टिहरी वर्ष 2001–02 :–

अधिष्ठान से सम्बन्धित अनियमितताऐं :–शा0सं0 आडिट 814/दस–99–351(10)/99 दिनांक 07 जून, 1999 द्वारा कर्मचारियों को सम्बन्धित वर्ष में अवैतनिक अवकाश में रहने पर उस वर्ष का बोनस देय नही था। वर्ष 2000–01 में 21 अध्यापक अवैतनिक अवकाश पर रहे थे। उन्हें उक्त वर्ष का बोनस रू0 51,807=00 का भुगतान किया गया था जोकि उक्त शासनादेश के विपरीत होने के कारण अनियमित था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5

बेसिक शिक्षा समिति नैनीताल वर्ष 1999–2000से 2001–02 तक :–

अनियमित/अधिक भुगतान :– (1) यात्रा भत्ता में रू0 2,215=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1

(2) अध्यापकों एंव कर्मचारियों को वेतन मद में रू0 94,431=20 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–2

(3) अवशेष वेतन देयकों में पूर्व में आहरित धनराशि वास्तव में भुगतानित राशि से कम दिखाये जाने से रू0 7,169=00 का दोहरा भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4

(4) कर्मचारियों/शिक्षकों के वेतन से जी0पी0एफ0 हेतु कटौती की धनराशि में से रू0 49925=00 भविष्य निधि खाते में कम हस्तान्तरित किये गये थे।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–7

मन्दिर समितियॉ

श्री –5 मन्दिर समिति गंगोत्री (उत्तरकाशी) 2001–02 :–

अधिक भुगतान :– विभिन्न सामग्री कय में रू0 4,399=50 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)

विश्वविद्यालय

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर (फार्म लेखा) वर्ष 2000–01 :–

(क) अनानुमोदित व्यय :– फार्म के श्रमिको को उनसे सम्बन्धित कार्य पर न लगाकर सड़क की सफाई कार्य पर लगाया गया था। इस प्रकार 199 मानव दिवसों हेतु रू0 11,940=00 का भुगतान किया गया था। निर्धारित प्रयोजनों पर उक्त धनराशि का उपयोग न होने से उक्त व्यय अनानुमोदित था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–3(क)

(ख) अनियमित भुगतान :– (1) फार्म कर्मचारियों को अतिकाल भत्ते का रू0 93169=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(क)

(2) श्री बी0पी0 सिंह महाप्रबन्धक फार्म तकनीकी का स्थानान्तरण विश्वविद्यालय लेखा में हो गया था। अतः उन्हें फील्ड अलाउन्स एवं मानक किराये के रूप में भुगतानित धनराशि रू0 4,020=00 का व्यय अनियमित था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(ख)

(ग) आर्थिक क्षति :– (1) पुआल एवं गेहूँ का भूसा की बिकी नही किये जाने से लगभग रू0 9,00,000=00 आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6(क)

(2) मानक से 32=36 कुन्टल गेहूँ का बीज अधिक उपयोग किये जाने से लगभग रू0 36,000=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6(दो)

(3)कृषि उत्पादों की नीलामी उपरान्त डिलीवरी देते समय कृषि स्टोर में धान कम दर्शाये जाने से रू0 7,266=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6(चार)

(घ) राजस्व की क्षति :– बाह्य कृषकों को भूमि किराया/लीज पर दी गयी थी किन्तु अनुबन्ध निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर न कराये जाने से रू0 4,05,562=00की राजस्व क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6(तीन)

(ड.) असमायोजित अग्रिम :– वर्ष के अन्त में कर्मचारियो पर रू0 5,98,505=00 अस्थायी अग्रिम अवशेष थे। इनका समायोजन न कराना वित्तीय अनियमितता थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–9(ग)

कुमायूँ विश्व विद्यालय नैनीताल वर्ष 1998–99 :–

(क) अधिक भुगतान :– (1) श्री जी0एल0 शाह क्रीड़ाधिकारी को देय वेतन की तुलना मे उच्चतर दर से भुगतान किये जाने से रू0 13,946=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–2

(2) डी0बी0एस0 कैम्पस में क्रीड़ा निधि से रू0 4,160=00 का परिहार्य व्यय किया गया था।

भाग–दो(ब) –22

(ख) अनानुमोदित व्यय :– अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ पर राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना रू0 5,17,153=00 का व्यय किया गया था।

भाग–2(ब) प्रस्तर –1

कुमायूँ विश्वविद्यालय नैनीताल वर्ष 1999–2000से 2000–01 तक :–

(क) अनानुमोदित व्यय :– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1998 तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ संचालित था। राज्य सरकार की स्वीकृति इस प्रकोष्ठ की निरन्तरता बनाये रखने हेतु अप्राप्त थी। उक्त तिथि के पश्चात् इस प्रकोष्ठ के 6 पदों पर वर्ष 1999–2000 एवं 2000–01 में कमशः रू0 5,16,076=00 एवं रू0 501365=00 का व्यय अनानुमोदित था।

भाग–दो(अ) –1(क)एवं 7

(ख) अनियमित व्यय :– (1) शासनादेश संख्या 570/70–4/2000–461281/95 उच्च शिक्षा अनुभाग–4 दिनांक 24.2.2000 द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी/कर्मचारियों को किसी भी दशा में नगदीकरण की सुविधा अनुमन्य न कराये जाने के आदेश थे। इसके विपरीत वर्ष 1999–2000 में कर्मचारियों को नगदीकरण में रू0 9,45,649=00 का अनियमित व्यय किया गया था।

भाग–दो(अ) –1(ख)

(2) पद सृजन के बिना संविदा पर कर्मचारियों को नियोजित करने के परिणामस्वरूप रू0 121482=00 अनियमित व्यय किया गया।

भाग–दो(अ) –1(ग)

(ग) आर्थिक क्षति :– (1) विश्वविद्यालयों के आवासों में रह रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से शासनादेश सं0 जी0 1616/10–9–40–83 दिनांक 15–11–85 के अनुसार वेतन का 7.50 प्रतिशत के समतुल्य मकान किराया वसूल नही किये जाने से रू0 59,210=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) –3(क)

(5) अंक पत्र वितरण, मिलान, लेखन सारणीयन कोलेशन एवं उपाधि लेखन मिलान कार्य हेतु शासन द्वारा निर्धारित दरों से उच्च दरों पर भुगतान करने के कारण रू0 4,90,897=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(घ)(7)

(6) प्रयोगशाला सहायकों एवं परिचारकों हेतु शासन द्वारा निर्धारित दरों से उच्च दरों से पारिश्रमिक भुगतान करने के फलस्वरूप रू0 3,58,355=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(घ)(8)

(7) अंक तालिका वितरण, आवेदन पत्रों की बिक्री/जॉच इत्यादि नैत्यिक कार्यो हेतु बिना शासन की अनुमति के पारिश्रमिक/मानदेय का अनियमित भुगतान रू0 3,00,835=00 किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(घ)(9)

(8) परीक्षा केन्द्र स्तर पर वरिष्ठ/सहायक केन्द्राध्यक्षों, कक्ष निरीक्षकों तथा तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित दर से उच्च दर से पारिश्रमिक का भुगतान करने के कारण रू0 1,28,896=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(घ)(10)

(ख) आर्थिक क्षति :– बी0 एड0 प्रवेश शुल्क से प्राप्त आय का शासन द्वारा निर्धारित अंश प्रतिशत विश्वविद्यालय के सामान्य कोष में हस्तान्तरित नही करके अन्य मदों पर व्यय करने के कारण रू0 21,81,266=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(छ)(1)

(ग) असमायोजित अग्रिम :– वर्षान्त में प्रारम्भ से 2000–2001 तक रू0 1,14,08,488=00 के अस्थाई अग्रिम असमायोजित थे।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–9(1)

इण्टर कालेज

राष्ट्रीय इण्टर कालेज रोहालकी (हरिद्वार) वर्ष 2001–02 :–

आर्थिक क्षति :–ठेकेदार श्री नक्कल सिंह से कृषि भूमि के गत वर्ष के ठेके की धनराशि रू0 ,30,200=00 में से मात्र रू0 24,000=00 ही वसूल किये गये थे। शेष रू0 6,200=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–6(2)

रा0 इण्टर कालेज भलसवा गाज (हरिद्वार) वर्ष 2001–02 :–

व्यपहरण :– किराया प्राप्ति पंजिका में दुकानों का किराया रू0 32,250=00 प्राप्ति दर्शाकर सम्बन्धित किरायादारो के भी हस्ताक्षर कराये गये थे। इसे रोकड़बही में अंकित न कर व्यपहरण किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर –1(1)

डाडा मण्डल इण्टर कालेज किमसार (पौड़ी) वर्ष 2001–02 :–

अधिक भुगतान :– श्री हरी सिंह चौधरी प्रधानाचार्य का त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारित किये जाने से रू0 57,606=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर– 5(ख)

इण्टर कालेज किनगोड़ी खाल (पौड़ी) वर्ष 2000–01 एवं 2001–02 :–

आर्थिक क्षति :–सन्दान निधि से रू0 940=00 प्रतिवर्ष कुल आय आंकी गयी थी। आलोच्य अवधि में रू0 1,880=00 सन्दान निधि में आय नही किये जाने से संस्था को आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–7(ख)

आर्य कन्या इण्टर कालेज कोटद्वार (पौड़ी) वर्ष 2001–02 :–

अधिक भुगतान :– त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण से श्रीमती कमलेश जोशी प्रवक्ता को रू0 3,154=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5

(घ) *अनियमित भुगतान* :– (1) अल्मोड़ा परिसर में शासनादेश के विपरीत संविदा पर रखे गये कर्मचारियों के वेतन पर रू0 1,95,336=00 प्रतिवर्ष दो वर्षो में कुल 390672=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5

(2) केन फील्ड छात्रावास में वास्केट वाल कोर्ट निर्माण में रू0 21,988=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–8

(3) परीक्षा केन्द्र व्यय में रू0 848=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–8(ख)

(ड.) आर्थिक क्षति :– (1) विश्वविद्यालयों एवं परिसरो द्वारा कम दर से नामांकन शुल्क की वसूली किये जाने से रू0 850=00 की क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) –9(क)

(2) डी0एस0बी0 परिसर नैनीताल के संस्कृत विभाग के छत मरम्मत में ठेकेदार को रू0 1,500=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–11

राष्ट्रीय सेवा योजना कुमायूँ विश्वविद्यालय नैनीताल वर्ष 1999–2000से 2000–01 :–

अनियमित व्यय :– (1) राजकीय महाविद्यालय रानीखेत द्वारा विशेष शिविर 1999–2000 हेतु खाद्य सामग्री आदि के ट्रान्सपोर्टेशन पर सामान्य कार्यकम मद से रू0 4,600=00 का अनियमित व्यय किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(क)

(2) डी0एस0बी0 परिसर नैनीताल में निर्धारित मानक से अधिक लिपिकों को मानदेय देने से रू0 1,620=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–3

(3) राजकीय महाविद्यालय रामनगर में विशेष शिविर हेतु रू0 12,000=00 का अग्रिम भुगतान दिनांक 1–3–2000 को किया गया था। व्यय प्रमाणकों के अनुसार उक्त तिथि को कोई एक दिवसीय शिविर नही लगा था। अतः भुगतान अनियमित था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4

(4) राजकीय महाविद्यालय बागेश्वर के कार्यकम अधिकारियों को यात्रा भत्ता में रू0 643=20 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) –7(क)

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढवाल वर्ष 2000–01 :–

(क) अधिक/अनियमित व्यय :– (1) विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/अनुभागों के अधिकारियो/कर्मचारियों को नैत्यिक प्रकृति के कार्यो हेतु मानदेय/पारिश्रमिक के रूप में रू0 16,36,389=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ग)(1)(2)(3)

(2) प्रयोगशाला सहायकों एवं परिचरों को शासन द्वारा निर्धारित दरों से उच्च दरों पर पारिश्रमिक एवं अनियमित वाहन भत्ता का भुगतान करने से रू0 85,496=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(घ)(3)

(3) बी0एड0 प्रवेश खाता से छात्रसंघ हेतु रू0 2,18,250=00 का फर्नीचर कय एवं मानव विज्ञान विभाग हेतु पहले श्रीनगर परिसर में तदुपरान्त चौरास परिसर में स्टील पार्टेशन हेतु रू0 1,97,679=00 कुल रू0 4,15,929=00 का परिहार्य व्यय किया गया था।

भाग–दो(ब)प्रस्तर–1(घ)(5)

(4) वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–3 के मूल नियम–37 की अपेक्षा अनुसार अपेक्षित प्रमाण दिये बिना कर्मचारियों एवं शिक्षकों को पूर्ण टैक्सी का किरायः अनुमन्य करने के कारण रू0 84,864=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(घ)(6)

नेहरू मेमोरियल जू0हा0 स्कूल बहादुरपुर जट (हरिद्वार) वर्ष 2001–02 :–

अनियमित भुगतान :–भवन साजसज्जा खाते से दिनांक 30–11–2000 को रू0 6,000=00 उधार स्वरूप आहरित किये गये थे जिसकी प्रतिपूर्ति नही की गयी थी। भवन साजसज्जा से उधार धनराशि दिये जाने का प्राविधान न होने के कारण उक्त आहरण अनियमित था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(3)

गुरू नानक जू0हा0 स्कूल डालूवाला (हरिद्वार) वर्ष 2001–02 :–

अनियमित भुगतान :– बजरी एवं मिट्टी ढुलाई की मात्रा का उल्लेख किये बिना रू0 1,900=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1

जनता जू0हा0 स्कूल बुगीलाधार मिलंग (टिहरी) वर्ष 1997–98से 2000–01 :–

अनियमित भुगतान :– श्री अमरजीत सिंह को बोनस रू0 2,419=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)

कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉ

कृषि उत्पादन मण्डी समिति हल्द्वानी वर्ष 2001–02 :–

(क) अधिक भुगतान :–सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था पर कम दरों वाली एजेन्सी से कार्य न कराये जाने पर रू0 2,34,203=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –3

(ख) आर्थिक क्षति :– (1) लाइसेन्सों का नवीनीकरण न कराये जाने से रू0 9,500=00 लाइसेन्स शुल्क की कम प्राप्ति से आर्थिक क्षति हुई।

भाग–दो(अ) –6

(2) नवीन मण्डी स्थल गेट पर स्थित वे ब्रिज की लीज अनियमित रूप से दिये जाने से समिति को रू0 55,000=00 की आर्थिक क्षति हुई थी तथा कैन्टीन को न्यूनतम निर्धारित न्यूनतम बोली से भी कम पर नीलाम किये जाने से रू0 3800=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) –7

(ग) विविध :–टेलीफोन, वाहन मरम्मत, उपकरण विद्युत आदि मदों पर रू0 8,91,355=00 का अनानुमोदित व्यय किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–2

कृषि उत्पादन मण्डी समिति रूड़की (हरिद्वार) वर्ष 2001–02 :–

(क) व्यपहरण :– श्री राजेन्द्र प्रसाद मण्डी सहायक द्वारा सम्पूर्ण आय रू0 34,330=00 के स्थान पर मात्र 33,330=00 जमा किये जाने से रू0 1,000=00 की व्यपहरण किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(1)

(ख) आर्थिक क्षति :– किसान बाजार की 23 दुकानों की नीलामी हेतु दिनांक 16–10–2001 को प्राप्त टेण्डर निरस्त कर पुनः नीलामी तिथि 26 एवं 27 नवम्बर, 2001 निर्धारित की गयी थी। किन्तु नीलामी निर्धारित तिथि को न कर बिना पर्याप्त प्रचार–प्रसार के दिनांक 30–11–2001 को की गयी जिसमें दिनांक 16–10–2001 को प्राप्त टेण्डरों की तुलना में समिति को रू0 2,44,495=00 की कम प्राप्ति होने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(3)

विकास प्राधिकरण

गंगोत्री विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण वर्ष 2001–02 :–

अनियमित भुगतान :–श्री बलवीर सिंह अवर अभियन्ता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही थी तथापि उन्हें रू0 2,467=00 बोनस का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)

नैनीताल झील विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण नैनीताल वर्ष 2000–01 :–

अधिक/अनियमित भुगतान :– (1) श्रीमती चम्पा विष्ट ठेकेदार को रू0 848=00 का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–3

(2) यात्रा भत्ता मद में रू0 450=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4

(3) शासन के अनुमोदन के बिना मुख्य लेखा अधिकारी को बाध्य प्रतीक्षा काल हेतु रू0 9,671=00 का भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6

(4) संस्था के कर्मचारियों को वाहन भत्ता के मद में रू0 12,525=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–8

(5) सहायक अभियन्ता को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता रू0 8,423=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5

(6) प्रवर्तन कार्यालय पर लगे मजदूरों की उपस्थिति का सत्यापन किये बिना मजदूरी रू0 13,020=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–9

(7)दैनिक वेतन भोगी अवर अभियन्ता को बिना कार्य सम्पादन के रू0 16,975=00 बकाया पारिश्रमिक का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–11

(8) झील के डेल्टाओं की सफाई हेतु प्राप्त अनुदान में गम्भीर अनियमितताऐं बरते जाने से रू0 4,59,206=00 अनुदान की राशि का दुरूपयोग हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–16

(9) प्राधिकरण द्वारा निजी वाहनों पर पर्याप्त व्यय किये जाने उपरान्त भी बिना कार्य का उल्लेख किये वाहन किराया पर रू0 80,000=00 अनियमित व्यय किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–2

नैनीताल झील विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण नैनीताल 2001–02 :–

(क) विविध :– पैट्रोल गाड़ी झील की सफाई आदि पर रू0 9,36,000=00 का अनानुमोदित व्यय किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1

(ख) आर्थिक क्षति :– कार पार्किंग तल्लीताल के वर्ष 2001–02 के ठेके की धनराशि रू0 24,701=75 की वसूली न होने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर 2

(ग) अनियमित भुगतान :– (1) ठेकेदार को रू0 13,402=00 जमानत की धनराशि की वापसी किया जाना अनियमित था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4

(2) झील की सफाई हेतु रू0 15,000=00 ठेकेदार को अनियमित एवं अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5

परिशिष्ट "क" भाग–(1)–(आख्या प्रस्तर 3.1 में सन्दर्भित)

क0सं0	*लेखे की श्रेणी*	*लेखाओं की संख्या*
1–	नगर निगम	01
2–	नगर पालिका परिषद	31
3–	नगर पंचायतें	34
4–	विकास प्राधिकरण	05
5–	विश्व विद्यालय	01
6–	डिग्री कालेज	13
7–	इण्टर कालेज	196
8–	जूनियर हाई स्कूल	236
9–	संस्कृत पाठशालाऐं	63
10–	कृषि उत्पादन मण्डी समितियां	16
11–	ट्रस्ट लेखें	76
12–	विविध लेखे	221
13–	वन समितियॉ (अस्थाई)	1219
14–	बेसिक शिक्षा समितियॉ	13
	योग	***2125***

परिशिष्ट "क" भाग–दो

(आख्या प्रस्तर–3–1 में सन्दर्भित)

सम्बर्ती सम्परीक्षाऐं :–

(1) गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रोद्यौगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर	(सामान्य लेखा)	01
(2) ———————"———————	(फार्म लेखा)	01
(3) हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढवाल		01

शत–प्रतिशत सम्परीक्षाधीन लेखें :–

(1) इन्जीनियरिंग कालेज	02
(2) मन्दिर समितियॉं	03
(3) राष्ट्रीय सेवा योजना के लेखे	03
योग	**11**

परिशिष्ट "ख"

(आख्या प्रस्तर–3–2 में सन्दर्भित)

लेखे का नाम एवं सम्बन्धित अधिनियम :–

1– नगर पालिकाऐं	नगर पालिका अधिनियम 1916
2– नगर पंचायतें	———————"———————
3(क) कृषि उत्पादन मण्डी समितियां	उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम–1964
3(ख) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद	———————"———————
4(क) जिला बेसिक शिक्षा समितियॉ	उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम–1972
4(ख) बेसिक शिक्षा परिषद	———————"———————
5– राज्य विश्वविद्यालय	उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973
6– विकास प्राधिकरण	उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973
7– वन निगम	उ0प्र0 वन निगम अधिनियम–1974
8– महाविद्यालय, इण्टर कालेज	वेतन वितरण अधिनियम, शिक्षा संहिता एवं इण्टर मीडिएट शिक्षा अधिनियम।
9– कृषि विश्वविद्यालय	कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 एवं तद्धीन बनाये गये नियम/परिनियम/अध्यादेश।

वित्तीय – नियमावलियॉ

वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड –दो,तीन,पॉच,छः	–– सामान्य रूप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।
बजट मैनुअल	–– सामान्य रूप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।
समय–समय पर निर्गत शासकीय आदेशों का संकलन	–– सामान्य रूप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।
मैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आर्डरस	–– सामान्य रूप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।

परिशिष्ट "ग"

(आख्या प्रस्तर–5–2 में सन्दर्भित)

शासनादेश संख्या आडिट–1892/दस–78–355(10) दिनांक 21 जून,1978 द्वारा सम्प्रेक्षेय लेखाओं पर आरोपित सम्परीक्षा शुल्क की दरें :–

(क) सम्वर्ती सम्परीक्षा शुल्क की दर :–

(1) रू0 65000=00से अनधिक आय पर	05 प्रतिशत
(2) रू0 65000=00 से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रू0 2500=00
(3) रू0 एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रू0 10000=00या उसके अंश पर	रू0 100=00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रू0 500=00

(ख) उप सम्परीक्षा शुल्क की दर :–

(1) रू0 65000=00 से अनधिक आय पर	01 प्रतिशत
(2) रू0 65000=00 से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रू0 800=00
(3) रू0 एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रू0 10000=00या उसके अंश पर	रू0 30=00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रू0 75=00

(ग) विविध लेखाओं हेतु निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दर :–

(1) कुल आय पर	0:75 प्रतिशत
(2) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रू0 75=00

(घ) विश्वविद्यालय की उप सम्परीक्षा हेतु निर्धारित सम्परीक्षा दर :–

(1) रू0 65000=00से अनधिक आय पर	01 प्रतिशत
(2) रू0 65000=00से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रू0 800=00
(3) रू0 एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रू0 10000=00या उसके अंश पर	रू0 30=00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रू0 500=00

(च) शत–प्रतिशत सम्परीक्षा शुल्क की दर :–

शत–प्रतिशत सम्परीक्षा शुल्क की दरें वही हैं जो सम्वर्ती सम्परीक्षा हेतु निर्धारित हैं।

(छ) विशेष सम्परीक्षा शुल्क की दर :–

एतदर्थ कोई दर निर्धारित नही है सम्परीक्षा में संलग्न कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं लेखन सामग्री आदि का वास्तविक व्यय संस्था से वसूल किया जाता है।

परिशिष्ट "घ"

(प्रस्तर–7–1 में सन्दर्भित)

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग के लिए स्वीकृत जिला सम्परीक्षा कार्यालयों की सूची :–

(क) जनपदीय कार्यालय :–

क0सं0	जिले का नाम जहां जिला सम्परीक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित हैं।
1–	देहरादून
2–	हरिद्वार
3–	उधम सिंह नगर
4–	नैनीताल
5–	अल्मोड़ा
6–	पौड़ी गढ़वाल
7–	नई टिहरी
8–	पिथौरागढ़ *
9–	चमोली *

टिप्पणी :– * उत्तरांचल शासन के वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 572/वि0 अनु0–1/2002 दिनांक 8–10–2002 द्वारा जिला सम्परीक्षा कार्यालय की स्थापना हेतु पदों के सृजन के साथ प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त की गई है।

(ख) सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय :–

(1) गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर (सामान्य लेखा) कुमायूँ।
(2) गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर (फार्म लेखा) कुमायूँ।
(3) हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)।

परिशिष्ट "घ–1"

उत्तरांचल राज्य में 31–3–2003 को अवशेष आपत्तियों का विवरण :–

(1)गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रोद्यौगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर (सामान्य लेखा) 4746

(2) ———————— "————————————(फार्म लेखा) 4229

(3) हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढवाल 3572

(4)जिला स्तरीय लेखे 32052

(5) बड़े लेखे 47236

योग *91835*

लेखे वार अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण (दिनांक 31–3–2003) :–

क0सं0	लेखे की श्रेणी	अनिस्तारित आपत्तियों की संख्या
1–	नगर पंचायतें	3777
2–	शिक्षण संस्थायें	15029
3–	कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉ	817
4–	क्षेत्र समितियॉ	5715
5–	चैकित्सिक संस्थाऐं	502
6–	ट्रस्ट लेखे	200
7–	विविध लेखे	5481
8–	जिला पंचायतें	17251
9–	नगर पालिकाऐं	19426
10–	बेसिक शिक्षा समितियॉ	4280
11–	महाविद्यालय	3074
12–	विकास प्राधिकरण	1273

13–	मन्दिर समितियॉ	205
14–	म्यूनिसिपल फारेस्ट	278
15–	जिला नगरीय विकास अभिकरण	531
16–	पालिटैक्निक संस्थाऐं	245
17–	इन्जीनियरिंग कालेज	239
18–	विश्वविद्यालय	4537
19–	कृषि एवं प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय	8975
	योग	***91835***

परिशिष्ट (ड.)

प्रान्तीय न्यासों की सूची

(प्रस्तर 11.1 में सन्दर्भित)

1– तारक जयन्ती, गोल्ड मेडल एण्डाउमेंट ट्स्ट, अल्मोड़ा।

2– पं0 ईश्वरी दत्त जोशी, स्कालरशिप एण्डाउमेंट फण्ड, अल्मोड़ा।

3– पद्मा जोशी फण्ड अल्मोड़ा।

4– लक्ष्मी देवी मैडल एण्डा0 ट्स्ट, अल्मोड़ा।

5– हरिनन्दन पुनेठा, स्कालरशिप एण्डा0 ट्स्ट, चम्पावत।

6– विक्ट्रो मेमोरियल एक्स सोल्जर्स वेनीवोलेंट फण्ड, अल्मोड़ा।

7– नार्थ वेस्टर्न रेलवे स्कूल ट्स्ट फेयरलान, मसूरी।

8– राजकृष्ण विद्यावती छात्रवृत्ति विन्यास न्यास, देहरादून।

9– टी0सी0 मुकर्जी, होम्योपैथिक डिस्पेंसनरी एण्ड हास्पिटल ट्स्ट, देहरादून।

10–स्टावेल मैमोरियल एण्डा0 ट्स्ट, गढ़वाल।

11–गढ़वाल सेनिटनरी स्कालरशिप एण्डा0 ट्स्ट, गढ़वाल।

12–आर0 मिस्टिस डे मेडल एण्डा0 ट्स्ट यू0पी0 गढ़वाल।

13–गढ़वाल क्ले मेमोरियल स्कालरशिप एण्डा0 ट्स्ट, कर्णप्रयाग।

14–राय महाबीर प्रसाद शाह बहादुर धर्मशाला एण्डा0 ट्स्ट, गढ़वाल।

15–चन्द्र बल्लभ मैमोरियल एण्डा0 ट्स्ट, गढ़वाल।

16–पं0 तारादत्त खण्डूरी, स्कालरशिप एण्ड0 ट्स्ट, गढ़वाल।

17–ठाकुर सालिग्रामसिंह परमार स्कालरशिप एण्डा0 ट्स्ट गढ़वाल।

18–गोविन्द पाठशाला एण्डा0 ट्स्ट फण्ड।

19–विक्ट्रो मैमोरियल गढ़वाली एक्स सिर्विसेजर वेनीबोलेंट फण्ड।

20–श्रीमती सुशीला काला छात्रवृत्ति न्यास, रूद्रप्रयाग।

21–कुमायूँ एण्ड भांवर कल्टिवेटर्स ट्स्ट फण्ड, नैनीताल।

22–बच्चा सीडसइण्डिजेंण्ट पापर ट्स्ट फण्ड, हल्द्वानी।

23–रैमजे हास्पिटल ट्स्ट, नैनीताल।

24–बांकेलाल बनवारी लाल हुण्डीवाले स्कालरशिप एण्डा0 ट्स्ट, नैनीताल।

25– राधेहरि स्कालरशिप एण्डा0 ट्स्ट, उधमसिंह नगर।

26–लाला चेतराम शाह ठुलगरिया एजूकेशन एण्डा0 ट्स्ट फण्ड।

27–राय साहब पं0 नारायण दत्त एवं देवीदत्त चिमवाल स्कालरशिप एण्डा0 ट्स्ट फण्ड।

28–श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर हनुमानगढ़, नैनीताल।

29– श्री कैंची हनुमान तथा आश्रम ट्स्ट, नैनीताल।

30–टामसन कालेज टेस्टोमोनियल फण्ड एण्डा0 रूड़की।

31–विजयानगरम् स्कालरशिप इन टामस इंजीनियरिंग कालेज।

32–फेयरलो मैमोरियल फण्ड।

33–कैलकाट रैलो मैमोरियल फण्ड।

34–सुल्तीवान स्कालरशिप एण्ड मेडल एण्डा ट्स्ट।

35– जनरल अप्रैंटिंस फण्ड, रूड़की वर्कशाप।

36–बैजनाथ स्कालरशिप फण्ड।

37–फ्रांसिस शैमियर स्कालरशिप फण्ड।

38–गंगादेवी स्कालरशिप एण्डाउमेंट।

39–सुशीला एण्ड जे मित्रा मैमोरियल सिल्वर मेडल फण्ड।

40–सदर डिस्पेंसरी फण्ड, रूड़की।

41–रामचन्द्र स्कालरशिप एण्डा0 ट्स्ट।

42–गवर्नमेंट आरमन शैमियर हाईस्कूल ट्स्ट फण्ड।

43–लाला पूरनमल सिल्वर मेडल एण्डा0 ट्स्ट फण्ड।

44–शीलाप्रिया मैमोरियल (स्वीमिंग) ट्स्ट।

45– श्रीमती सरस्वती विष्ट स्कालरशिप एण्डा0 फण्ड, अल्मोड़ा।

केन्द्रीय न्यासों की सूची

(1) गढवाल क्षेत्रीय शिक्षा न्यास निधि।

नगर निगम/नगर पालिका परिषदें

क्र० सं०	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक अनियमित परिहार्य/अग्राह्य व्यय भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	विविध अनियमितताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1—	नगर निगम देहरादून। *	2000—01	—	155197=00	—	—	262728=00	—	—	—
1(1)	न0पा0परिषद, हरिद्वार	2001—02	—	929255=00	—	—	2572200=00	275125=00	—	—
1(2)	—तदैव—	2000—01	1559=00	1079855=00	—	—	2426733=00	—	—	—
2—	———"—— रूड़की	2001—02	—	18654=00	—	—	399235=00	61340=00	—	—
3—	———"—— जसपुर	2000—01	—	—	—	—	—	99625=00	—	—
4—	———"——किच्छा	2000—01	—	—	—	—	—	140881=00	—	—
5—	———"—— अल्मोड़ा	2001—02	—	177406=00	—	—	32708=00	—	—	—
6—	———"—— पिथौरागढ़	2001—02	—	203018=00	—	—	228205=00	—	—	—
7—	———"—— नरेन्द्रनगर	2001—02	—	—	242725=00	—	—	—	—	—
8—	———"—— टिहरी	2001—02	—	1192090=00	—	—	—	—	—	—
9—	———"—— उत्तरकाशी	2001—02	—	623225=00	—	—	—	—	—	—
10—	———"—— गोपेश्वर	2001—02	—	—	—	176000=00	7250=00	—	—	—
11—	———"—— दुगड्डा	2001—02	—	2455=00	—	—	13424=00	—	—	51285=00
12—	———"—— कोटद्वार	2001—02	—	—	—	—	31379=00	—	—	—
13—	———"—— श्रीनगर	2001—02	—	181542=00	—	—	—	6697=00	—	—
14(1)	———"—— टनकपुर	2000—01से 2001—02	—	183558=00	—	—	3500=00	—	—	—
14(2)	———"—— टनकपुर	1997—98से 2001—02	—	31349=00	—	—	1354822=00	51010=00	—	—
15—	———"——मवाली	2000—01	—	—	—	604884=00	197735=00	—	—	—
16—	———"——— नैनीताल	2000—01	—	101665=00	—	—	186178=00	—	—	—
		2001—02					—			
17—	———"——— काशीपुर	1999—00	—	59080=00	—	—	—	211417=00	—	—
18—	———"——— हल्द्वानी	2000—01	78473=00	54264=00	—	—	595560=00	—	—	—
19—	———"——— बाजपुर	2000—01	—	27579=00	—	—	8179=00	78866=00	—	—
20—	———"——— बागेश्वर	2000—01	—	8472=00	—	—	37800=00	35479=00	—	—
21—	———"———मसूरी	2001—02	—	298000=00	—	—	—	—	—	—
22—	———"———— विकासनगर	2001—02	—	37005=00	—	—	—	—	—	—
	योग		80032=00	5208472=00	242725=00	780884=00	8094908=00	960440=00	—	51285=00

* योग में शामिल नही है।

नगर पंचायतें

क0सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित परिहार्य/अग्राह्य व्यय भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितताए	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी क्षति	विविध
1—	2—	3—	4—	5—	6—	7—	8—	9—	10—	11—
1—	नगर पंचायत हरबर्टपुर	2001—02	—	35560=00	—	—	—	—	—	—
2—	—"— कर्णप्रयाग	2000—01 एवं								
		2001—02	—	—	11305=00	—	—	1262=00	—	—
3—	—"— बद्रीनाथ	2001—02	—	49565=00	—	—	—	—	—	—
4—	—"— गंगोत्री	2001—02	—	—	167400=00	—	—	—	—	—
5—	—"— बडकोट	2001—02	—	29910=00	—	—	—	—	—	—
6—	—"— लक्सर	2001—02	—	—	—	—	688791=00	—	—	—
7—	—"— लण्डौरा	2001—02	—	3354=00	—	—	—	—	—	—
8—	—"— गोचर	2001—02	—	—	—	—	1900=00	5842=00	—	—
9—	—"— चम्बा	2001—02	—	26960=00	—	—	—	—	—	—
10—	—"— मुनि की रेती	2001—02	—	16316=00		—	—	—	—	—
11—	—"— कीर्तिनगर	2001—02	—	14600=00	—	—	—	—	—	—
12—	—"— देवप्रयाग	2001—02	—	129098=00	—	—	—	—	—	—
13—	—"— द्वाराहाट	2001—02	—	74658=00	—	—	—	—	—	—
14—	—"— चम्पावत	2001—02	—	13312=00	—	108293=00	26084=00	—	—	—
15—	—"— लोहाघाट	2001—02	—	21950=00	—	—	20686=00	—	—	—
16—	—"— लालकुँआ	2001—02	—	20224=00	—	—	—	—	—	—
17—	—"— भीमताल	2001—02	—	51709=00	—	—	77000=00	—	—	—
18—	—"— कालादूंगी	2001—02	—	114579=00	—	—	323394=00	113480=00	—	—
	योग			601795=00	178705=00	108293=00	1137855=00	120584=00	—	—

इण्टर कालेज/अन्य शिक्षण संस्थायें

क0सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित परिहार्य/अग्राह्य व्यय भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितताए	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी क्षति	विविध अनियमितताए
1–	2–	3–	4–	5–	6–	7–	8–	9–	10–	11–
1–	इण्टर कालेज रोहालकी	2001–02	—	—	—	—	6200=00	—	—	—
2–	रा0 इण्टर का0 मलसवागाज	2001–02	32250=00	—	—	—	—	—	—	—
3–	डाडा मण्डल इ0का0 किमसार	2001–02	—	57606=00	—	—	—	—	—	—
4–	इण्टर कालेज किनगोडीखाल	—	—	—	—	—	1880=00	—	—	—
5–	आर्य कन्या इ0का0 कोटद्वार	2001–02		3154=00	—	—	—	—	—	—
6–	इ0 का0 सौली कौडिया	2001–02	—	20538=00	—	—	—	—	—	—
7–	इ0 का0 कोठिला	1998–99से	—	—	—	—	—	4638=00	—	—
		2001–02								
8–	इ0का0 सीकू	2001–02	882=00	—	—	—	—	—	—	—
9–	इ0का0 जोगीमढ़ी	2001–02	—	2467=00 —	—	—	—	—	—	—
		2001–02								
10–	इ0 को0 चौवट्टा खाल	2001–02	—	5856=00	—	—	—	—	—	—
11–	चेतराम शाह तुलघरिया इ0 का0	2000–01	17251=00	61165=00	—	—	—	—	—	—
	नैनीताल									
	योग		50383=00	150786=00	—	—	8080=00	4638=00	—	—

जूनियर हाई स्कूल/ उ0 मा0 विद्यालय

क0सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित	अधिष्ठान	राजकीय अनुदानों	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी क्षति	विविध
				परिहार्य/अग्राह्य	सम्बन्धी	से सम्बन्धित				अनियमितताए
				व्यय भुगतान	अनियमित व्यय	अनियमितताए				
1–	2–	3–	4–	5–	6–	7–	8–	9–	10–	11–
1–	सत्यनारायण हा0से0 स्कूल मकदूमपुर	2001–02	18093=00	—	—	—	—	—	—	—
2–	न0पालिका हा0से0 स्कूल ज्वालापुर	2001–02	—	6544=00	—	—	—	—	—	—
3–	नेहरू मेमो0जू0हा0 स्कूल बहादुरपरु जट	2001–02	—	6000=00	—	—	—	—	—	—
4–	गुरू नानक जू0हा0 स्कूल डालूवाला	2001–02	—	1900=00	—	—	—	—	—	—
5–	जनता जू0 हा0 स्कूल दुगीधाधार मिलंग	1997–98से								
		2000–01	—	2419=00	—	—	—	—	—	—
	योग		18093=00	16863=00	—	—	—	—	—	—

महाविद्यालय / विश्वविद्यालय

	क0 सं0	अवधि	व्यपहरण	अधिक अनियमित परिहार्य/अग्राह्य व्यय भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	विविध अनियमितताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1–	गो0ब0पन्त इन्जी0 कालेज घुड़दौड़ी	2000–01	—	72102=00	95419=00	200000=00	7500=00	—	—	—
2–	कुमायूँ विश्व वि0 नैनीताल	1999–00से								
		2000–01	—	1480639=00	—	—	61560=00	—	—	1017441
3(1)	———तदैव——	1998–99	—	18106=00	—	—	—	—	—	517153=00
3(2)	राष्ट्रीय सेवा योजना कु0 वि0 वि0	1999–00से	—	18863=00	—	—	—	—	—	—
	नैनीताल	2000–01								
4–	गो0ब0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्व									
	विद्यालय पन्तनगर (फार्म लेखा)	2000–01	—	97189	—	—	943266	405562=00	598505=00	11940=00
5–	हे0न0बहुगुणा वि0वि0 श्रीनगर	2000–01	—	3501661=00	—	—	2181266=00	—	11408488=00	—
6–	आर्य कन्या डिग्री कालेज	2001–02	—	12060=00	—	—	—	—	—	—

विकास प्राधिकरण

क0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक अनियमित परिहार्य/अग्राह्य व्यय भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	विविध अनियमितताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1(1)	झील प्राधिकरण नैनीताल	2000–01	—	601118=00	—	—	—	—	—	—
1(2)	———तदैव——	2001–02	—	28402=00	—	—	24702=00	—	—	936000=00
2–	गंगोत्री विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	2001–02	—	2467=00	—	—	—	—	—	—
	योग			**631987=00**	—	—	**24702=00**	—	—	**936000=00**

बेसिक शिक्षा समितियाँ

क0सं0	नाम	अवधि	व्ययपहरण	अधिक/अनियमित	अधिष्ठान	राजकीय अनुदानों	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी क्षति	विविध
				परिहार्य/अग्राह्य	सम्बन्धी	से सम्बन्धित				अनियमितताए
				व्यय भुगतान	अनियमित व्यय	अनियमितताए				
1–	2–	3–	4–	5–	6–	7–	8–	9–	10–	11–
1–	बेसिक शिक्षा समिति टिहरी	2001–02	—	51807=00	—	—	—	—	—	—
2–	बेसिक शिक्षा समिति नैनीताल	1999–00से								
		2001–02	—	153740=00	—	—	—	—	—	—
	योग		—	205547=00	—	—	—	—	—	—

मन्दिर समितियाँ

क0सं0	नाम	अवधि	व्ययपहरण	अधिक/अनियमित	अधिष्ठान	राजकीय अनुदानों	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी क्षति	विविध
				परिहार्य/अग्राह्य	सम्बन्धी	से सम्बन्धित				अनियमितताए
				व्यय भुगतान	अनियमित व्यय	अनियमितताए				
1–	2–	3–	4–	5–	6–	7–	8–	9–	10–	11–
1–	श्री–5 मन्दिर समिति गंगोत्री	2001–02	—	4399=00	—	—	—	—	—	—
	योग		—	4399=00	—	—	—	—	—	—

कृषि उत्पादन मण्डी समिति

क0सं0	नाम	अवधि	व्ययपहरण	अधिक/अनियमित	अधिष्ठान	राजकीय अनुदानों	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी क्षति	विविध
				परिहार्य/अग्राह्य	सम्बन्धी	से सम्बन्धित				अनियमितताए
				व्यय भुगतान	अनियमित व्यय	अनियमितताए				
1–	2–	3–	4–	5–	6–	7–	8–	9–	10–	11–
1–	कृषि उत्पा0म0समिति, हल्द्वानी	2001–02	––	234203=00	––	––	68300=00	––	––	891355=00
2–	––––––''––––––रूड़की	2001–02	1000=00	––	––	––	244495=00	––	––	––
	योग	––	1000=00	234203=00	––	––	312795=00	––	––	891355=00

सारांश

क0 सं0	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक अनियमित परिहार्य / अग्राह्य व्यय भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	विविध अनियमितताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1–	नगर पालिका परिषद		80032=00	5208472=00	242725=00	780884=00	8094908=00	960440=00	—	51285=00
2–	विकास प्राधिकरण		—	631987=00	—	—	24702=00	—	—	936000=00
3–	बेसिक शिक्षा समितियाँ		—	205547=00	—	—	—	—	—	—
4–	महाविद्यालय		—	12060=00	—	—	—	—	—	—
5–	**नगर पंचायत**		—	601795=00	178705=00	108293=00	1137855=00	120584=00	—	—
6–	**इण्टर कालेज**		50383=00	150786=00	—	—	8080=00	4638=00	—	—
7–	कृ0उ0 मण्डी समितियाँ		1000=00	234203=00	—	—	312795=00	—	—	891355=00
8–	कृ0एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय		—	97189	—	—	943266	405562=00	598505=00	11940=00
9–	हे0न0 बहुगुणा विश्वविद्यालय		—	3501661=00	—	—	2181266=00	—	11408488=00	—
10–	कुमायूँ विश्वविद्यालय		—	1517608=00	—	—	61560=00	—	—	1534594
11–	विविध		—	4399=00	—	—	—	—	—	—
12–	नगर निगम		—	155197=00	—	—	262728=00	—	—	—
13–	इन्जीनियरिंग कालेज		—	72102=00	95419=00	200000=00	7500=00	—	—	—
14–	जूनियर हाईस्कूल / उ0मा0विद्यालय		18093=00	16863=00	—		—	—	—	—
	योग		149508=00	12409869	516849=00	1089177=00	13034660	1491224=00	12006993=00	3425174

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 कोषागार / 295–3–11–2003–250 पुस्तकें (कम्प्यूटर / रीजियो)।